Executive Summary

Construction of RCC bridge and its approach road at 57.20 chainage on Dabhari Chakla Ghat to Kosi embankment (near spur) road project

Social impact assessment is mainly done to draw up the potential socioeconomic and environmental impacts of land acquisition prior to any policy planning or development projects. This retrospective assessment is done in light of national or concerned state land acquisition rules by an independent and impartial body, before acquisition of land from landowners by the government for public purposes. The basic purpose of this type of assessment is to invite objections and suggestions from individuals and families affected by the land acquisition in the project area and accordingly government has to be informed about the same. District administration, Supaul has shown its interest in Anugrah Narayan Singh Institute of Social Sciences, Patna for Social Impact assessment of under construction RCC bridge and its approach road project at 57.20 chainage on Dabhari Chakla Ghat to Kosi embankment (near spur) road.

Details of study area

According to the documents provided by the concerned department responsible for the execution of the project (Bihar Kosi Basin Development Project) BKBDP, there is proposal to acquire 1.664 acre of land at Dabhari Chakla Mauza under this project. Most of the land ownership of these plots is of joint in nature. If these family units are counted, according to the standards of the Land Acquisition Act 2013, then this number can reach more than 77.

Objective

The main objective of this study is to comprehensively access the socio-economic impacts of land acquisition on project affected families. The specific objectives of the social impact assessment study are as follows:-

I. To identify the directly or indirectly affected families or stakeholders like land owner, shareholder, agriculture labor, non agriculture labor, sailor, shopkeeper etc. as per the Land Acquisition act,
II. To prepare socioeconomic and demographic profile of stakeholders, project affected people and their families.
III. To understand socioeconomic impacts on the project affected people.
IV. Formulation of cost-benefit analysis of the project.
V. To evaluate people’s views regarding rehabilitation and resettlement scheme.

Methodology of study

To fulfill the objective of the study, both primary and secondary data have been collected. Secondary facts were compiled from census reports and other office documents to prepare a brief outline of the project area. Collection of primary data was done through structured interview schedule, focused group discussion, case study and discussion with officials. Census approach was adopted to identify the affected families and the data collected was analyzed by applying statistical techniques like rate, ratio etc.

Background profile, framework and effect of project

It is clear from the findings of the study that, 1.664 acre of land under Mauja, Dabhari Chakla is required to be acquired for this project and 17 respondents from 30 plots have expressed their views regarding impacts on them due to land acquisition. Most of the land ownership of these plots is of joint type. The people affected by the project have also said that after getting the compensation for the land acquisition as per the Land Acquisition Act 2013, they will settle among their family units. As per the norms of the Land Acquisition Act, the no of household units among 17 respondents is more than 77 who are directly affected. Most of the families depend mainly on agriculture for their livelihood. Mainly food crops are being produced, in which wheat, paddy, maize, moong and patua are the key produce. Some of the affected families have migrated for employment. The women of the affected families are mostly engaged in domestic work.

It is also clear from the study of the effects of land acquisition on individuals and families that under this project, the construction work of RCC bridge and approach road at 57.20 chainage of Kosi embankment (near spur) road of Dabhari Chakla Ghat will have positive impact on the local communities, traffic will be easy as well as comfortable and movement of people will increase. The prices of land in this area will also increase accordingly.

Mitigation measures

The economic loss of land acquisition may not be the same for all *raiyats*. Henceforth, timely payment of compensation and availability of alternative employment opportunities for the weaker sections will prove to be effective in removing the mental stress due to land acquisition and the worry of receiving compensation of the land owners.

Although the negative effects of land acquisition may be experienced in the short run during the construction of the project, however, in long run its socio-economic effects will be positive and will prove to be transformative for the lives of the people there.

Public Hearing

Under Section-5 of the Land Acquisition Act, 2013, the public hearing program was organized on 12.07.2022 at Panchayat Sarkar Bhawan, Bairiya. The date and place of the said public hearing was decided by the DM, Supaul by letter number 342 / BHU dated 29.06.2022.

Suggestion

The following suggestions may be considered during the land acquisition process: –

- Assessment of land value : Minimum Value Register (M.V.R.) needs to be updated.
- Alignment / recalibration : The alignment should be clear on the ground. There is a need to re-measure the acquired land before disbursement of compensation.
- Asset record management/ updation : Land-records should be updated.
- Prompt payment of compensation : Compensation may be paid as soon as possible.
  Ensuring timely payment of compensation is expected.

सुपौल जिलान्तर्गत डभारी चकला घाट के कोशी तटबंध (स्पर के समीप) पथ के 57.20 चेनेज पर निर्माणाधीन आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ परियोजना हेतु भूमि अर्जन

का

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन

समाहरणालय, सुपौल

को समर्पित

द्वारा

डॉ0 कौशल किशोर

अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना–1

अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना–1

अग्रसारण

मैं, डॉ० कौशल किशोर द्वारा सम्पादित ''सुपौल जिलान्तर्गत डभारी चकला घाट के कोशी तटबंध (स्पर के समीप) पथ के 57.20 चेनेज पर निर्माणाधीन आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ परियोजना'' प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के प्रतिवेदन को इसके अधिकृत संस्था के कार्यालयी उपयोग हेतु अग्रसारित करता हूँ।

नील रतन

(कुलसचिव)

प्राक्कथन

विकासीय परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक–आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देना, निर्धनता को कम करना, शैक्षणिक स्तर को बढ़ाना और जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यद्यपि परियोजना क्षेत्र के लोगों के लिए इसके परिणाम कुछ हद तक हानिकारक (Disruptive) हो सकते हैं और इस प्रकार की विकासीय परियोजनाओं हेतु भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप विस्थापन, भूमिहीनता एवं आजीविका का नुकसान भी हो सकता है। तथापि, परियोजना से होने वाले सकारात्मक लाभ लोगों के जीवन पर पड़ने वाले अल्पकालिक नकारात्मक प्रभावों की तुलना में बेहतर हो सकता है। सुपौल जिला अंतर्गत डभारी चकला मौजा क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए संपर्क साधनों की बेहतरी को सुनिश्चित करने, आर्थिक विकास एवं नगरीकरण की गति में तीव्रता लाने के दृष्टिगत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार सरकार ने सुपौल जिला के डभारी चकला घाट के कोशी तटबंध पर आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण हेतु अंचल– सुपौल में कार्य का निर्णय लिया है, जिससे कोशी तटबंध के आर–पार सड़क मार्ग द्वारा यातायात सरल एवं सुगम होगा। इससे परियोजना क्षेत्र के निवासियों, यात्रियों एवं भारी वाहनों के आवागमन में सुविधा होगी।

इस निर्माण हेतु आवश्यक भूमि के अधिग्रहण पूर्व उसके सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का कार्य बिहार सरकार ने अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना को सौंपा है। इस कारण संस्थान द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले भू–स्वामियों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर इस प्रतिवेदन को तैयार किया गया है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को इस प्रतिवेदन के माध्यम से अग्रेत्तर कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित की जा सकती है।

प्रतिवेदन के निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी के योगदानों को, जिन्होंने सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन {Social Impact Assessment (SIA)} अध्ययन के दौरान अपना योगदान प्रदान किया है, अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान द्वारा स्वीकार किया गया और उसकी सराहना की गई। हमलोग अपना हार्दिक आभार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार को देना चाहते हैं, जिन्होंने इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य के संपादन का अवसर प्रदान किया। साथ ही हमलोग सुपौल जिला प्रशासन, अनुमण्डल पदाधिकारी, भू–अर्जन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी आभारी हैं, जिन्होंने अध्ययन की प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुकूल सभी प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराया। हमलोग परियोजना प्रभावित लोगों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उक्त क्षेत्र में तथ्य संकलन के कार्य में सहयोग प्रदान की। उक्त कार्य का अवसर प्रदान करने एवं निरंतर मार्गदर्शन करने के लिए हम अपने संस्थान के निदेशक एवं कुलसचिव के प्रति भी अपना विशेष आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमलोग संस्थान प्रशासन सहित उसके समस्त सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं, जिन्होंने अध्ययन प्रक्रिया के दौरान निरंतर अपना सहयोग प्रदान किया। हम परियोजना में कार्यरत अपने समस्त अनुसंधान कर्मियों के प्रति भी आभारी हैं, जिन्होंने इस परियोजना कार्य में अपना श्रेष्ठतम योगदान प्रदान किया।

डॉ0 कौशल किशोर

(परियोजना निदेशक)

संक्षिप्तीकरण

ANSISS	-	A N Sinha Institute of Social Studies, Patna
BRFCTLARR	-	Bihar Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules 2014
CO	-	Circle Officer
DCF	-	Data Collection Format
DCLR	-	Deputy Collector Land Reforms
DLAO	-	District Land Acquisition Officer
FGD	-	Focus Group Discussion
GoB	-	Government of Bihar
GoI	-	Government of India
MVR	-	Minimum Value Register
RA	-	Research Assistant
RAP	-	Resettlement Action Plan
RFCTLARR Act	-	The Right to Fair Compensation & Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act
R & R	-	Rehabilitation and Resettlement
SIA	-	Social Impact Assessment
S/R	-	Sex Ratio

अध्याय का नाम

अध्याय	विवरण	पृष्ठ सं०
अध्याय–I	परियोजना का विस्तृत विवरण	1
अध्याय–II	सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल की संरचना, दृष्टिकोण, कार्य–प्रणाली एवं अनुसूची	16
अध्याय–III	भूमि का मूल्यांकन	20
अध्याय–IV	प्रभावित परिवारों एवं उनकी संपत्ति की गणना एवं आकलन	23
अध्याय–V	प्रभावित परिवारों की सामाजिक–आर्थिक रुपरेखा	25
अध्याय–VI	भूमि अधिग्रहण का प्रभाव	32
अध्याय–VII	लागत–लाभ का विश्लेषण और अधिग्रहण पर अनुशंसा	38

सारणी की सूची

सारणी-परिशिष्ट	विवरण	पृष्ठ सं०
सारणी-1.1	क्षतिपूर्ति (मुआवजे) की माँग का स्वरूप	12
सारणी-1.2	भू–स्वामियों के द्वारा मुआवजों (धन–राशि) के उपयोग का प्रारूप	12
सारणी-2.1	सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल के सदस्य	16
सारणी-3.1	अधिग्रहित भूमि के अतिरिक्त अन्य भू–खण्डों की उपलब्धता एवं प्रकार	21
सारणी-3.2	न्यूनतम मूल्य पंजिका के अनुसार भूमि का मूल्य	22
सारणी-4.1	उत्पादक परिसम्पत्तियों का प्राक्कलन	24
सारणी-5.1	प्रभावित परिवारों के सदस्यों का जनांकिकीय विवरण	25
सारणी-5.2	प्रभावित परिवारों के सदस्यों का शैक्षिक, धार्मिक एवं जातिगत वर्गीकरण	26
सारणी-5.3	प्रभावित परिवार के सदस्यों का मुख्य व्यवसाय	26
सारणी-5.4	पारिवारिक आय के स्रोत	27
सारणी-5.5	अधिग्रहित भू–खण्ड से वार्षिक आय	28
सारणी-5.6	फसलों का प्रकार एवं औसत वार्षिक उत्पादकता	28
सारणी-5.7	प्रभावित परिवारों का बैकिंग विवरण	29
सारणी-5.8	प्रभावित परिवारों द्वारा लिए गए ऋणों की संख्या, स्रोत, उद्देश्य एवं राशि	29
सारणी-5.9	प्रभावित परिवारों के सदस्यों के प्रवास की स्थिति	30
सारणी-6.1	परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरांत आर्थिक प्रभाव	34
सारणी-6.2	परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरांत सामाजिक प्रभाव	35
सारणी-6.3	परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरांत सांस्कृतिक /	35

सारणी-परिशिष्ट	विवरण	पृष्ठ सं०
	पर्यावरणीय प्रभाव	
सारणी-6.4	परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरांत स्वास्थ्य पर प्रभाव	36
सारणी-6.5	परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरांत यातायात पर प्रभाव	36

अध्याय का विवरण

अध्याय	उप-खण्ड	विवरण	पृष्ठ सं०
		अग्रसारण	I
		प्राक्कथन	II
		संक्षिप्तीकरण	III
		अध्याय का नाम	IV
		सारणी की सूची	V
		आकृति की सूची	VII
		अध्याय का विवरण	VIII
		कार्यकारी–सारांश	XII
अध्याय I	1.1	विषय प्रवेश	1
	1.2	परियोजना की पृष्ठभूमि	1
	1.3	अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक विवरण	2
	1.4	सुपौल जिलान्तर्गत पुल एवं पहुंच पथ का महत्त्व	6
	1.5	स्थानीय लोग एवं मौजूदा परिदृश्य	9
	1.6	भूमि अधिग्रहण की विधिक संरचना	9
	1.7	भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का स्वरूप	10
	1.8	प्रभावित परिवारों द्वारा क्षतिपूर्ति के माँग का स्वरूप	11
	1.9	भू–स्वामियों के द्वारा मुआवजों (धन–राशि) के उपयोग का प्रारूप	12
	1.10	उद्देश्य	13

अध्याय	उप-खण्ड	विवरण	पृष्ठ सं०
	1.11	जन–सुनवाई	13
	1.12	अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष	14
	1.13	सुझाव	14
	1.14	संस्थागत व्यवस्था	15
	1.15	सरकारी दस्तावेज के अनुसार मौजागत आधार पर भू–स्वामियों के भूमि का विवरण	15
	1.16	वैकल्पिक स्थल	15
अध्याय II	2.1	अध्ययन दल के सदस्यों का विवरण	16
	2.2	सूचना संकलन पद्धति एवं उपकरणों के विवरण	16
	2.3	अध्ययन की पद्धति एवं उपागम	17
	2.4	सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के संपादन की प्रक्रियाएँ/चरण	18
अध्याय III	3.1	संरेखण के अनुसार भूमि अधिग्रहण का विवरण, सूची और प्राथमिक स्रोत से प्राप्त भूमि की जानकारी	20
	3.2	भूमि अधिग्रहण का परियोजना क्षेत्र पर प्रभाव	20
	3.3	परियोजना हेतु कुल आवश्यक भूमि	20
	3.4	परियोजना क्षेत्र के आस–पास के सार्वजनिक एवं अप्रयुक्त भूमि का वर्तमान उपयोग	20
	3.5	भूमि का विवरण एवं भू–खण्डों का उपयोग	20
	3.6	परियोजना के लिए अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भू–खण्डों की संख्या एवं अवस्थिति	20
	3.7	भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग एवं उसका वर्गीकरण	21
	3.8	भू–धारण का आकार, स्वामित्व का स्वरूप, भूमि का वितरण एवं आवासीय उपलब्धता	21
	3.9	भूमि का मूल्य	22

अध्याय	उप-खण्ड	विवरण	पृष्ठ सं०
अध्याय IV	4.1	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवार	23
	4.2	सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों पर प्रभाव	23
	4.3	राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि पर आश्रित परिवारों एवं सम्पत्तियों की गणना एवं आंकलन	23
	4.4	भूमि अधिग्रहण के तीन या अधिक वर्ष पूर्व से शहर में निवासरत व्यक्तियों की स्थिति	23
	4.5	अर्जनाधीन भूमि पर 3 वर्ष पूर्व से आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रूप में आश्रितता	23
	4.6	परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग	23
	4.7	उत्पादक परिसम्पत्तियों की सूची	23
	4.8	भू–खण्डों का वर्तमान उपयोग	24
अध्याय V	5.1	परिचय	25
	5.2	प्रभावित परिवारों का जनांकिकीय विवरण	25
	5.3	प्रभावित परिवारों के सदस्यों की सामाजिक रूपरेखा	25
	5.4	प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति	26
	5.5	प्रभावित परिवार के सदस्यों की व्यावसायिक स्वरूप / स्थिति	26
	5.6	भू–स्वामित्व, भू–उपयोग के स्वरूप एवं अर्जनाधीन भूमि से आय का प्रवाह	27
	5.7	पारिवारिक आय के स्रोत और स्थिति	27
	5.8	हितबद्ध परिवारों की कृषि संलग्नता एवं उसकी औसत उत्पादकता	28
	5.9	बैकिंग सुविधाओं तक पहुंच	28
	5.10	पारिवारिक ऋण, ऋण के कारण और ऋण के स्रोत	29

अध्याय	उप-खण्ड	विवरण	पृष्ठ सं०
	5.11	प्रभावित परिवारों के सदस्यों की प्रवास की स्थिति	30
	5.12	प्रभावित क्षेत्र में महिलाओं की प्राथमिक गतिविधियां	30
	5.13	भूमि अधिग्रहण का रोजगार पर प्रभाव	30
	5.14	निष्कर्ष	30
अध्याय VI	6.1	भूमि अधिग्रहण के प्रभावों के पहचान का संरचनात्मक उपागम	32
	6.2	आर्थिक स्थिति और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव	32
	6.3	महिलाओं पर भूमि अधिग्रहण का प्रभाव	33
	6.4	भूमि अधिग्रहण का स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर प्रभाव	33
	6.5	परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरान्त आर्थिक प्रभाव	34
	6.6	परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरान्त सामाजिक मुद्दों पर प्रभाव	34
	6.7	परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरान्त सांस्कृतिक/पर्यावरणीय प्रभाव	35
	6.8	परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरान्त स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रभाव	36
	6.9	परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरान्त परिवहन और संचार पर प्रभाव	36
	6.10	निष्कर्ष	37
अध्याय VII	7.1	भूमि अधिग्रहण का लागत-लाभ विश्लेषण	38
	7.2	सामाजिक प्रभाव के न्यूनीकरण के उपाय	38
	7.3	अध्ययन की अनुशंसाये	39

कार्यकारी सारांश

सुपौल जिलान्तर्गत डभारी चकला घाट के कोशी तटबंध (स्पर के समीप) पथ के 57.20 चेनेज पर निर्माणाधीन आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ परियोजना

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को मुख्य रूप से किसी नीति नियोजन या विकासीय परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पूर्व, उसके संभावित सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों को आकलित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह पूर्वगामी आकलन समुचित सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भू–स्वामियों से भूमि अधिग्रहण के पूर्व राष्ट्रीय या संबंधित राज्य की भूमि अधिग्रहण नियमावली के आलोक में किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष इकाई से कराया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन का मूल उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों एवं परिवारों की आपत्तियों तथा सुझावों को आमंत्रित करना एवं तद्नुकूल सरकार को इससे अवगत कराना है। जिला प्रशासन, सुपौल ने "सुपौल जिलान्तर्गत डभारी चकला घाट के कोशी तटबंध (स्पर के समीप) पथ के 57.20 चेनेज पर निर्माणाधीन आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ परियोजना" का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के कार्य हेतु अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना में अपनी अभिरूचि दिखायी है।

अध्ययन क्षेत्र का विस्तार :-

सुपौल जिले में परियोजना से संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के अनुसार इस परियोजना के अंतर्गत मौजा डभारी चकला से 1.664 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव पारित हैं। इन भू–खण्डों के अधिकांश भू–स्वामित्व संयुक्त प्रकृति के बताते है, यदि इन पारिवारिक इकाईयों की गणना भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के मानकों के अनुकूल किया जाए तो यह 77 से भी अधिक की संख्या में पहुंच सकती हैं।

उद्देश्य :-

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का विस्तृत मूल्यांकन करना है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नवत् हैं :–

I. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले परिवारों या हितबद्ध लोगों (भू–स्वामी, बँटाईदार, कृषक–मजदूर, गैर–कृषक मजदूर, नाविक, दुकानदार) का मूल्यांकन करना।

II. हितबद्ध लोगों एवं उनके परिवारों का सामाजिक–आर्थिक एवं जनांकिकीय रूपरेखा तैयार करना।

III. परियोजना का हितबद्ध लोगों पर पड़ने वाले सामाजिक–आर्थिक प्रभावों को समझना।

IV. परियोजना के लागत–लाभ (Cost-Benefit) विश्लेषण का निरूपण करना।

V. पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के प्रति लोगों के विचारों का मूल्यांकन करना।

अध्ययन की पद्धति :-

अध्ययन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के तथ्यों का संकलन किया गया है। परियोजना क्षेत्र की संक्षिप्त रूपरेखा तैयार करने हेतु जनगणना प्रतिवेदनों (Census Report) एवं अन्य कार्यालयी दस्तावेजों से द्वितीयक तथ्यों का संकलन किया गया। प्राथमिक तथ्यों का संकलन संरचित साक्षात्कार–अनुसूची (Interview Schedule), केन्द्रित समूह परिचर्चा (Focused Group Discussion), वैयक्तिक

अध्ययन (Case Study) एवं अधिकारियों के साथ परिचर्चा आदि के माध्यम से किया गया। प्रभावित परिवारों की पहचान करने हेतु जनगणना उपागम (Census Approach) का सहारा लिया गया, जिसके विश्लेषण हेतु सांख्यिकीय तकनीकों (Statistical Techniques) जैसेः— दर, अनुपात आदि का उपयोग किया गया।

परियोजना की पृष्ठभूमि, रूपरेखा एवं प्रभाव :-

अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट है कि इस परियोजना के अंतर्गत मौजा डभारी चकला से 1.664 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें 30 भू—खण्डों के 17 उत्तरदाताओं ने परियोजना से प्रभावित होने के प्रति अपने विचारों/अभिमतों को व्यक्त किया है। इन भू—खण्डों के अधिकांश भू—स्वामित्व संयुक्त प्रकार की है। परियोजना से प्रभावित हितबद्ध लोगों ने यह भी कहा है कि भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिलने के पश्चात् वे अपने पारिवारिक इकाईयों के बीच भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के मानक (पारिवारिक इकाई की गणना) के अनुकूल मुआवजा का वितरण करेगे। यदि अधिनियम के मानकों के अनुसार देखा जाए तो 17 उत्तरदाताओं के बीच पारिवारिक इकाईयों की संख्या लगभग 77 से अधिक है, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अधिकांश परिवार अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। उत्पादित होने वाले फसलों में मुख्यतः खाद्यान्न फसल का ही उत्पादन होता हैं, जिसमें गेंहू, धान, मक्का, मूंग एवं पटुआ सर्वप्रमुख हैं। प्रभावित परिवारों में से कुछ लोग रोजगार के उद्देश्य से प्रवासित हुये हैं। प्रभावित परिवारों की महिलाएं अधिकांशतः घरेलू कार्यों में संलग्न हैं।

भूमि अधिग्रहण का व्यक्ति एवं परिवारों पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन से भी स्पष्ट है कि प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत डभारी चकला घाट के कोशी तटबंध (स्पर के समीप) पथ के 57.20 चेनेज पर निर्माणाधीन आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण कार्य से यहाँ के स्थानीय समुदाय पर विशिष्ट रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यातायात सुलभ एवं सहज होगी, लोगों की आवाजाही में वृद्धि होगी। इस क्षेत्र के जमीनों की कीमतें भी तद्नुरूप बढ़ेगी।

न्यूनीकरण के उपाय :-

भू—अधिग्रहण के आर्थिक नुकसान सभी रैयतों के लिए समान नहीं हो सकते हैं। अतः मुआवजे का समय पर भुगतान और कमजोर वर्गों हेतु रोजगार के वैकल्पिक अवसरों की उपलब्धता भू—स्वामियों को भूमि अधिग्रहण के मानसिक तनाव एवं मुआवजे की चिंता को दूर करने में प्रभावी सिद्ध होगा ।

यद्यपि परियोजना के निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण के नकारात्मक प्रभावों को अल्पकालिक रूप से महसूस किया जा सकता है, किन्तु दीर्घकाल में इसके सामाजिक—आर्थिक प्रभाव सकारात्मक होंगे और समुदाय में रहने वाले लोगों के जीवन के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होगा।

जन-सुनवाई :-

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा—5 के अंतर्गत जन—सुनवाई कार्यक्रम दिनांक 12.07.2022 को पंचायत सरकार भवन, बैरिया में संपादित किया गया। उक्त जन—सुनवाई की तिथि एवं स्थान का निर्धारण समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा ज्ञापांक 342/भू0अ0, दिनांक 29.06.2022 के माध्यम से किया गया।

सुझाव :-

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित सुझावों पर विचार किया जा सकता है :—

■ भू–मूल्य का निर्धारण	:	न्यूनतम मूल्य पंजिका (M.V.R.) के अद्यतीकरण की आवश्यकता है।
■ संरेखण / पुनर्माप	:	संरेखण जमीन पर स्पष्ट होना चाहिए। मुआवजे के वितरण के पहले अधिग्रहित भूमि के पुनर्माप की आवश्यकता है।
■ भू–अभिलेख प्रबंधन / अद्यतीकरण	:	भू–अभिलेखों को अद्यतन किया जाना चाहिए।
■ मुआवजे का यथाशीघ्र भुगतान	:	मुआवजे का भुगतान यथाशीघ्र किया जा सकता है। समय पर मुआवजे के भुगतान की सुनिश्चितता अपेक्षित है।

अध्याय–I

परियोजना का विस्तृत विवरण

1.1 विषय प्रवेश :–

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को मुख्य रूप से किसी नीति नियोजन या विकासीय परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पूर्व, उसके संभावित सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों को आकलित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह पूर्वगामी आकलन सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भू–स्वामियों से भूमि अधिग्रहण के पूर्व राष्ट्रीय या संबंधित राज्य की भूमि अधिग्रहण नियमावली के आलोक में समुचित सरकार द्वारा किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष इकाई से कराया जाता है। इसके अन्तर्गत लोगों के रोजगार, आय, उत्पादन क्षमता, जीवन शैली, संस्कृति, समुदाय, राजनीतिक व्यवस्था, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं कल्याण, वैयक्तिक एवं सम्पत्ति के अधिकार तथा भय एवं आकांक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। ये प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक कोई भी हो सकते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन का मूल उद्देश्य भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों एवं परिवारों की आपत्तियों तथा सुझावों को आमंत्रित करना एवं तद्नुकूल सरकार को इससे अवगत कराना है, जिससे कि भूमि–अधिग्रहण के नकारात्मक प्रभावों का न्यूनीकरण किया जा सके।

1.2 परियोजना की पृष्ठभूमि :–

बिहार, भारत के पिछड़े राज्यों में से एक है, जहाँ का संरचनात्मक विकास निम्न है। बिहार का सड़क मात्र 19,507.92 कि०मी० की लम्बाई के साथ दयनीय स्थिति में है। इनमें राज्य उच्चपथ का योगदान 21.8% तथा राष्ट्रीय उच्च पथ 23.68% है। (बिहार राज्य पथ निर्माण विभाग, 2016)

बिहार में बेहतर परिवहन, आर्थिक विकास एवं शहरीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार सरकार ने सुपौल जिला के डभारी चकला घाट के कोशी तटबंध पर आर०सी०सी० पुल एवं पहुंच पथ निर्माण हेतु मौजा डभारी चकला में सुलभ एवं सुगम परिवहन के दृष्टि से उक्त कार्य का निर्णय लिया है।

सड़क परिवहन तंत्र को सुविकसित एवं व्यवस्थित करने के दृष्टिगत पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने डभारी चकला घाट के कोशी तटबंध पर आर०सी०सी० पुल एवं पहुंच पुल निर्माण का निर्णय लिया है। इस परियोजना के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण सुपौल जिले के सुपौल अंचल के अंतर्गत प्रस्तावित है। यह सड़क कोशी तटबंध के आर–पार विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों को भी जोड़ेगा, जो जहां तक पहुंचना पूर्व में सुगम नहीं हुआ करता था।

सुपौल जिला के डभारी चकला घाट के कोशी तटबंध पर आर०सी०सी० पुल एवं पहुंच पथ निर्माण के लिए 1.664 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता है। अनुमण्डल कार्यालय, सुपौल द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार 30 भू–खण्डों से भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता हैं। इन भू–खण्डों के अधिकांश भू–स्वामी अपने परिवार की संरचना एकल प्रकृति के बताते है किन्तु भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा–3 में निर्दिष्ट परिवार की परिभाषा के अनुसार उनमें से अधिकांश परिवारों की संरचना संयुक्त प्रकार की है। यदि इन पारिवारिक इकाईयों की गणना भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के मानकों के अनुकूल किया जाए, तो उनकी संख्या 77 से भी अधिक हो सकती

हैं जिनके इस परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने की संभावना है। भू–अर्जन निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार इस भूमि को "भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहण करना चाहती है।

1.3 अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक विवरण :–

सुपौल जिला, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में सहरसा और मधेपुरा जिला पूर्व में अररिया जिला तथा पश्चिम में मधुबनी जिला से घिरा हुआ है। सुपौल जिला मुख्यालय के साथ–साथ मुख्य शहर भी है।

सुपौल जिला का निर्माण तत्कालीन सहरसा जिला के सुपौल और वीरपुर अनुमंडल को मिलाकर हुआ। इस जिले में चार अनुमंडल यथा निर्मली, वीरपुर, त्रिवेणीगंज और सुपौल है। यहां ग्यारह प्रखंड है। इस जिले में कुल 3 शहर और 534 गांव है।

यह जिला काफी हद तक भौगोलिक कारकों से प्रभावित रहा है। पुराने खोजकर्ताओं के लिए पूरे जिले में पुरातात्विक संबंधी असंख्य सामग्री उपलब्ध थी परंतु जिले में आज पिछली आधी सदी में विनाशकारी कोसी नदी के कारण कोई भी प्राचीन ऐतिहासिक स्थल मौजूद नही है। कुछ प्रांरभिक यूरोपीय लोगों के प्रयास से कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वस्तुओं या स्थलचिन्हों को यहां संरक्षित करने का प्रयास किया गया। इसके आधार पर जिले के प्रांरभिक इतिहास के बारे में कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में वैशाली गणराज्य और उससे आगे अंगुत्तरप एक प्रसिद्ध क्षेत्र था। अंगुत्तरप में अपाना नामक एक छोटा जनपद और इसमें सहरसा जिले का एक हिस्सा शामिल था जहां से वर्ष 1991 में सुपौल जिले का निर्माण हुआ। जिले के विभिन्न स्थल जैसे बिटरपुर, बुधियागढ़ी, बुधनाघाट, भुझाड़ी, पिठाही और मथाही, बौद्ध धर्म से जुड़े थे, जो कोशी द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो गये। स्थानीय किवनदंतियों के अनुसार इस क्षेत्र से भगवान बुद्ध और महावीर गुजरे थे और उन्होंने वहां उपदेश दिया था।

छठी सदी ईसा पूर्व के प्रांरभ तक अंग और उत्तरी बिहार (सुपौल सहित) स्वतंत्र रहे। कुछ समय तक यह मगध राज्य का हिस्सा रहा। यद्यपि अंग राज्य मगध के अधीन चला गया फिर भी अंगुत्तरप, जिसमें सुपौल का पश्चिमी भाग भी था एक स्वतंत्र जनपद के रूप में जारी रहा। अजातशत्रु, नंदो और मौर्यों द्वारा फिर इस हिस्से को अपने मगध राज्य में मिला लिया।

इस सदी के पहले दशक में मौर्य कालीन 58 पंच मार्क वाले सिक्के जिले के गोरहोघाट में मिले। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार के सिक्के पटुआहा में भी मिले।

320 और 1097 ई0 के बीच गुप्तों (320 ई0) के समय उत्तर बिहार में दो भुक्ति थे तिरभुक्ति (पूरे उत्तर बिहार में) और पुंड्रावर्धन भुक्ति जिसमें सहरसा के हिस्से के साथ सुपौल का भी हिस्सा शामिल था।

गुप्तों के पतन के बाद कामरूप (असम) के वर्मनों ने सुपौल जिला तक अपना सीमा विस्तार कर लिया था।

8वीं सदी में पाल शासकों ने यहां अपना शासन कायम किया। सुपौल जिले के कुछ गांव पाल शासकों के नाम से जुड़े हुए है और इस जिले के माध्यम से पाल शासक नेपाल से जुड़े हुए थे।

1097 और 1765 ई0 के बीच पाल शासन के पतन के बाद मिथिला के कर्नाट वंश और बंगाल के सेन राजवंश के बीच सुपौल के कुछ हिस्सों को लेकर कई बार संघर्ष हुए।

विजय सेन के देवपना शिलालेख से पता चलता है कि कर्नाट वंश के नान्यदेव हार गये थे और उन्हें कैद कर लिया गया था। नान्यदेव के पुत्र गंगादेव ने उन्हें वर्तमान सुपौल से ही मुक्त कराया था। सुपौल जिला का मलहाद गांव भी मल्लदेव से जुड़ा हुआ था।

मिथिलांचल में तुगलक अधिकार कमजोर होने के बाद बंगाल के हाजी इलियास ने इस पर कब्जा किया। इसने तिरहुत को दो भागों में विभक्त कर दिया जिसके फलस्वरूप सहरसा जिला (सुपौल सहित) ओइनवारा शासक के कब्जे में आ गया। इस वंश के प्रसिद्ध राजा शिवसिम्हा के समय ही प्रसिद्ध कवि विद्यापति उनके संरक्षण में रहते थे।

ओइनवाटा वंश के पतन के बाद तिरहुत छोटे–छोटे राजवंशों में बंट गया। मुगल शासन के दौरान स्थानीय राजपूत शासकों और छोटे सरदारों ने करानी और अफगानी से मिलकर इस क्षेत्र को विद्रोह का केन्द्र बना दिया। 1582 ई0 में राजा टोडरमल ने बिहार सूबे में राजस्व बंदोबस्त लागू किया। अकबर के समय सहरसा जिले का मूल्यांकन किया गया था।

मुगल शासन के दौरान पुराने सहरसा जिले का पूर्णगठन किया गया था। लोगों के जीवन और संस्कृति पर स्वाभाविक रूप से मुस्लिम शासन का प्रभाव था। कुछ राजपूत जमींदार भी धर्मातंरित हो गये थे।

1764 में पुराना सहरसा जिला बंगाल के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के नियत्रंण में आ गया। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुराना सहरसा जिला भी बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा था तथा कई राजनीतिक आंदोलनों का महत्वपूर्ण केन्द्र बना रहा।

स्वतंत्रता आंदोलन में पुराने सहरसा जिले द्वारा निभाई गयी भूमिका में 1917 में एनी वेसेंट का होमरूल आंदोलन और 1921 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन महत्वपूर्ण था जिसे जिले में व्यापक समर्थन मिला। स्वतंत्रता आंदोलन के समय सुपौल और मधेपुरा की जेलें राजनीतिक बंदियों से भरी हुई थीं।

1942 की अगस्त क्रांति में पुराना सहरसा जिले भी स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर बना। 13 अगस्त को भूपेन्द्र नारायण मंडल, देवता प्रसाद सिंह और अन्य लोगों के नेतृत्व में भारी जनसमूह मधेपुरा पहुंचा तथा अदालत परिसर के कोषागार के उपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 29 अगस्त के फायरिंग में सहरसा जिले के कई लोग मारे गये थे। 1942 में सियाराम सिंह के नेतृत्व में बिहार के श्रमिकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिले ने बाद की घटनाओं में एक प्रमुख भूमिका निभाई जो देश की आजादी तक जारी रहा।

प्राकृतिक विभाजन :–

सुपौल जिला पूरी तरह से गंगा के उत्तर में स्थित है तथा मैदान से युक्त है। जिले का पूर्वी भाग अधिक उपजाऊ और अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। अशांत कोशी द्वारा छोड़े गये निक्षेपों ने मिट्टी की उर्वरता को कम किया है परंतु कोशी परियोजना के कार्यान्वयन से इस क्षेत्र को वास्तविक अन्न भंडार में बदल दिया है।

बाढ़ के कहर के कारण जिले की स्थलाकृति प्रभावित हुई है। कोशी बैराज और कई तटबंधों के निर्माण से रेतीले इलाके की बंजर भूमि को पुनः उपजाऊ बनाया जा रहा है जो जिले में फसलें पैदा कर रहे हैं। कोशी परियोजना के अन्तर्गत अनेक नहर का निर्माण किया गया है जिससे सुपौल, सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया, मधेपुरा के साथ नेपाल के क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाएं मिल रही है।

इस जिले की प्रमुख नदी कोशी है, जो हिमालय से निकलती है। इसकी तीन सहायक नदियां सन देवसी, अरूण और तमूर त्रिवेणी में मिलती है और सप्तकोशी का निर्माण करती है। यह चतरा के नजदीक प्रवेश करती है।

तिलगुआ, भूतही बलान, सुगरवे, सोनियर, जांगर बलान, कमला और बागमती आदि नदियां मैदान में इसके दाहिने किनारे पर कोशी में मिलती है। कोशी अपनी अनियमितता के लिए विख्यात है। बरसात के दिनों में इसके कारण कई क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं।

जिले की अन्य महत्वपूर्ण नदियां हिमालय से निकलती है और खगरी नदी में गिरती है जो स्वयं कोशी में मिलती है। ये नदियां है – तिलजुगा, वाटी, घिमरा, तिलबे, परवन, धुसन, चालौसी, लोरन, कटना, द्रौस और धागरी।

जलवायु परिस्थितियां :–

जिले में आमतौर पर गर्मियों को छोड़कर आर्द्र जलवायु होती है जो कि शुष्क होती है। सर्दियों का मौसम नवम्बर से फरवरी तक तथा गर्मी का मौसम मार्च से मई तक होता है। बारिश का मौसम जून से सितम्बर तक रहता है। अक्टूबर का महीना संक्रमण कालीन होता है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है जबकि जून सबसे गर्म महीना होता है जहां तापमान 42–43^0 सेल्यिस तक चला जाता है।

बारिश, जून के महीने से शुरू होती है। सबसे ज्यादा बारिश जुलाई के महीने में होती है जो पुरे वार्षिक वर्षा का एक चौथाई होता है।

वनस्पति और जीव :–

धान और गेहूं जलोढ़ मिट्टी पर उपजाया जाता है। कोशी प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी कान्स और पतर वन है जो पुर्नसुधार पर है। जिले में छोटे पेड़ जैसे बबूल, झौआ, हरजोरा इत्यादि और पानी में होने वाले पौधे जैसे मखाना, रामदाना, मोथा घास तथा सवई घास, मुंज और बेंत उपजाये जाते हैं। यद्यपि कोशी के कारण बड़ी मात्रा में फल वाले पेड़ बर्वाद हो जाते है, फ़िर भी जिले में प्रचुर मात्रा में आम उपयाए जाते है। अन्य सामान्य पेड़ महुआ, कटहल, केला, इमली, वेर, जामुन, कठ जामुन, खजूर, साल, शीशम, सेमर, लीची, अमरूद, नींबू, तरबूज, नारियल और सुपारी भी उगाये जाते हैं।

वनों के क्षय होने से और वंजर भूमि का पुनर्गहण और अतीत में अंधाधुंध शिकार के कारण बाघ, तेदुंआ, हिरण, चीतल और जंगली सुअर आदि में बहुत कमी आयी है। नीलगाय, खरगोश और खिखिर आज भी पाये जाते हैं। सियार, बंदर, भेड़िया सामान्य रूप से पाये जाते हैं। सरीसृप की कई घातक प्रजातियाँ और जहरीले सांप जैसे–कोबरा, करैत और विभिन्न प्रकार के छिपकली पाये जाते हैं। जंगली कौआ, घरेलू कौआ, ट्रीपी, ग्रे टार्नबिल, तीतर जल कपोत, कबूतर आदि जिले में पाये जाते हैं।

भूमि उपयोग प्रारूप :–

कृषि, जिले के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। बिहार के शोक 'कोशी' नदी को व्यवस्थित और नियंत्रित करने का प्रयास जारी है। कोशी परियोजना के पूरा होने से यहां के फसल प्रारूप में भी बदलाव आ रहा है। जिले में अब बड़ी मात्रा में जूट और मक्का की खेती हो रही है, भदई और अगहनी दोनों धान उगाए जाते हैं। महुआ और तिलहन की खेती भी हो रही है। नील की खेती पूरी तरह समाप्त हो गयी है।

जिले में प्रमुख उपज वाली फसले धान, मक्का, जूट, गेहूं, जौ, महुआ और गन्ना है। कृषकों को इन फसलों की उन्नत किस्मों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रत्येक सामुदायिक विकास प्रखंड में एक बीज गुणन फार्म खोला गया है।

सिंचाई सुविधाएं :–

आजादी के बाद से जिले में बाढ़ नियंत्रण उपायों के साथ–साथ सिंचाई चैनलों आदि के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। विशाल कोशी नदी परियोजना के पूर्ण हो जाने के परिणामस्वरूप सिंचाई के तरीके बदल गए हैं। जिले में कई छोटी सिंचाई योजनाओं, नलकूपों पंपिग सेट, हैंडपंप, सतही रिसाव कुआं और रेहट पंप आदि के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है।

खान और खनिज :–

जिले में कोई खदान नही है और खनिज के रूप में केवल ईट की मिट्टी और रेत ही उपलब्ध है।

वानिकी :–

जिले मे कोई जंगल नही है लेकिन वन विस्तार प्रभाग पूर्णिया के तहत कोशी नहर के किनारे विभिन्न प्रकार के पेड़ जैसे–शीशम, नीलगिरी, गुलमोहर, सखुआ आदि लगाने का काम चल रहा है।

मत्स्य पालन :–

मत्स्य पालन जिले के सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायों में से एक है। जिले में कई तालाब और पोखर है जिनमें बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का काम किया जाता है इससे जिले के हजारों मछुआरों को काम मिलता है।

औद्योगीकरण (Industrialization) :-

औद्योगिक दृष्टि से यह जिला अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है और हाल तक कोई भी बड़ा औद्योगिक केन्द्र यहां विकसित नहीं हुआ है। औद्योगिक विकास के लिए जिले में न तो पर्याप्त संसाधन है और न ही आधारभूत संरचना उपलब्ध है। संचार व्यवस्था भी अच्छी नहीं है और बाढ़ की विभीषका भी एक बूरे स्वपन की तरह है।

जिले में विभिन्न प्रकार के छोटे उद्योग जैसे केक बनाना, टांफी बनाना, साबुन बनाना और बिस्कुट फैक्ट्री आदि संचालित है। इस उद्योग में कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक दोनों काम करते हैं।

पशुपालन :–

तुलनात्मक रूप से सुपौल जिले में पशुधन की जनसंख्या कम हैं। प्रखंडों में कुवकुट विकास पर काफी ध्यान दिया गया है और इनके प्रयास से इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

पिछले दशकों में यहां पशु चिकित्सालय, औषधालयों और डाक्टरों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए कई उपाय किए गए है।

संचार :–

कोशी नदी की अनियमितताओं के कारण जिले के संचार माध्यम जैसे– सड़क मार्ग, रेलवे और जलमार्ग बहुत प्रभावित हुए हैं। जो भी हो, आजादी के बाद यहां कई पक्की और बिना पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है।

निम्नलिखित सड़कों में सुधार किया गया है।

सुपौल से सिंधेश्वर स्थान, सुपौल से त्रिवेणीगंज

सुपौल से सहरसा और मधेपुरा, सुपौल से सरायगढ़–भपटियाही

इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कई पुलों का निर्माण किया गया है।

रेलवे (Railways) :-

उत्तर पूर्व रेलवे लाइन की एक शाखा जो मानसी से फारविसगंज जाती है वह जिले के गढ़बरूआरी स्टेशन से होकर गुजरती है।

नदियां :-

जिले में नौगम्य नदियों की कमी है, हालांकि छोटी देशी नावें सीमित मात्रा में नौगम्य के उद्देश्य से चलती है।

वायु मार्ग :-

जिले में एकमात्र हवाईअड्डा वीरपुर में स्थित है, जिसका देखरेख लोक निर्माण विभाग करता है।

व्यापार एवं वाणिज्य (Trade and Commerce) :-

सुपौल जिले से मुख्यतः जूट और आम का निर्यात किया जाता है तथा लोहा, लौह उत्पाद, कोयला, सूतीवस्त्र, खाद्यान्न और उपभोक्ता वस्तुओं का आयात किया जाता है।

डभारी

डभारी सुपौल जिला के सुपौल प्रखंड का एक गांव है। 2011 के जनगणना के अनुसार यहां कुल 689 परिवार निवासरत है। यहां की कुल जनसंख्या 3484 है, जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 1813 तथा महिलाओं की जनसंख्या 1671 है।

डभारी गांव में 0–6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या 670 है जो यहां की कुल जनसंख्या का 19.23% है। 0–6 आयु वर्ग की जनसंख्या में बालकों की संख्या 389 तथा बालिकाओं की संख्या 281 है।

2011 की जनगणना के अनुसार डभारी गांव की साक्षरता 34.10% है, जिसमें पुरूषों की साक्षरता 71.46% तथा महिलाओं की साक्षरता 28.54% है।

1.4 सुपौल जिलान्तर्गत आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण का महत्त्व :-

- इस आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण से कई गांवों के लोगों का सीधा सम्पर्क सुपौल से होगा।
- डभारी और सुपौल के बीच की दूरी कम होगी तथा समय का भी बचत होगा।
- डभारी चकला क्षेत्र का विकास होगा।
- डभारी चकला मौजा के लोगों के रोजगार में वृद्धि होगी।
- इससे लोगों को जिलान्तर्गत स्वास्थ्य सुविधा मिलने में सुविधा प्राप्त होगी।
- कृषि उत्पादों का विपणन आसान होगा और रोजगार के नये अवसर प्राप्त होगें।
- सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ त्वरित गति से प्राप्त हो सकेगी।
- डभारी चकला मौजा के गांवों तक प्रशासन की पहुंच आसान होगी।
- डभारी चकला मौजा में गैर–सरकारी संगठन, निजी कंपनियों आदि तक को भी पहुंचने में सुविधा होगी।
- इन सब के अतिरिक्त इससे स्थानीय क्षेत्र के भूमि की कीमतों के बढ़ने की संभावना है।

आकृति 1

सुपौल जिलान्तर्गत पुल एवं पहुंच पथ का संरेखीय मानचित्र

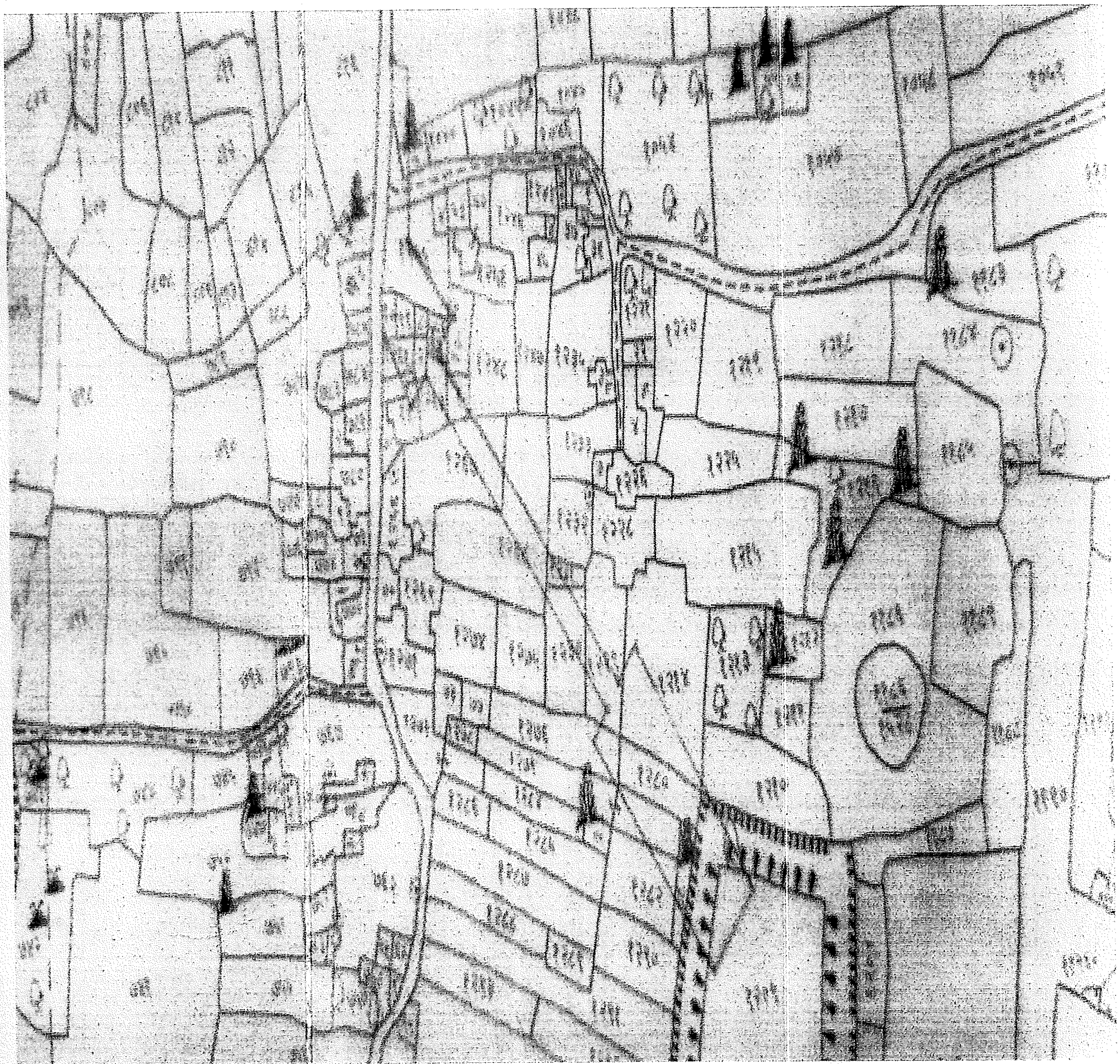

स्त्रोत :– अनुमंडल कार्यालय, सुपौल।

आकृति 2

सुपौल का मानचित्र

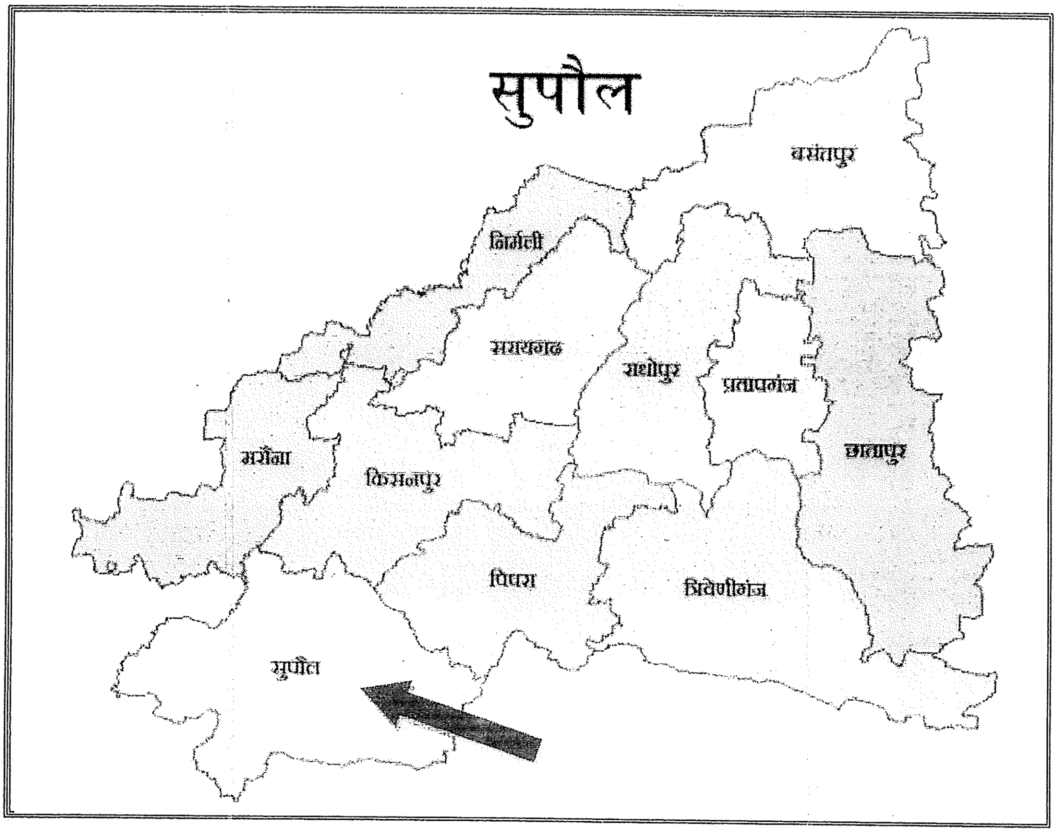

आकृति 3

बिहार का मानचित्र

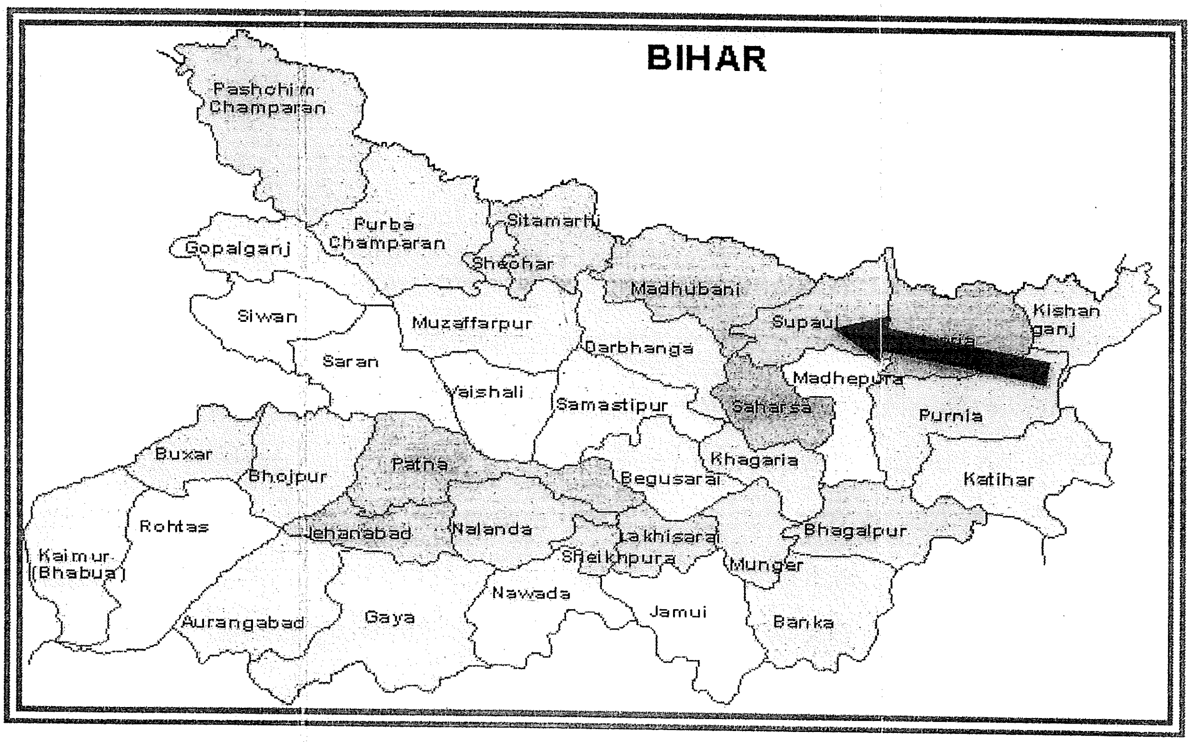

1.5 स्थानीय लोग एवं मौजूदा परिदृश्य :–

जिला प्रशासन एवं स्थानीय लोगों के अनुसार बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने प्रस्तावित भूमि पर आर0 सी0 सी0 पुल एवं पहुँच पथ निर्माण कार्य प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुआवजे के वितरण के बिना ही पुल एवं पहुंच पथ संरचना का काम प्रगति पर है। अधियाची इकाई ने क्षतिपूर्ति (मुआवजा) के प्रति स्थानीय लोगों को आश्वस्त कर रखा है और स्थानीय लोग भी स्वभाव से सहयोगी हैं इस कारण परियोजना का कार्य लगभग पूर्णता की स्थिति में है। किन्तु, मुआवजे के भुगतान को लेकर वे अनिश्चितता की स्थिति में हैं और MVR में संशोधन की मांग की है।

1.6 भूमि अधिग्रहण की विधिक संरचना :–

''क्षतिपूर्ति (मुआवजा), पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन'' इस अधिनियम के विधिक संरचना का मूल तत्व है। वर्तमान समय में किसी भी नीति–नियोजन या विकासीय योजनाओं हेतु भू–अर्जन की प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के माध्यम से की जाती है। इस अधिनियम का पूरा नाम "भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" है।

इस अधिनियम के पूर्व के प्रावधानों में पुनर्वास संबंधी मुद्दे प्रायः विद्यमान नहीं होते थे, यदि कुछ होते भी थे तो वे विशेषकर निज–स्वामित्व वाले भूमि के अधिग्रहण के विनियमन से संबंधित थे। उन अधिकांश प्रावधानों में पुनर्वास जैसे मुद्दों को अमल में नहीं लाया जा रहा था, क्योंकि जिस समय ये विधियाँ लायी गई थी उस समय पुनर्वास कोई बड़ा मुद्दा नहीं हुआ करता था। भारत में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित कानून सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के अन्तिम दशक (1894 ई०) में अस्तित्व में आया। उस समय उपनिवेशीय शासन का मुख्य उद्देश्य अपने विधि–व्यवस्था को बनाए रखना था, न कि विकासीय कार्य को गति प्रदान करना। माथुर (2011) के अनुसार ये विधियाँ मुख्य रूप से राज्य के सर्वोपरि अधिग्रहण–अधिकार (Eminent Domain) के सिद्धान्त पर आधारित थे, जो सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु उचित क्षतिपूर्ति के पश्चात् राज्य को निजी भूमि के अधिग्रहण का एकतरफा अधिकार प्रदान करता था।

भूमि अधिग्रहण से संबंधित 1894 का पूर्वनिर्मित अधिनियम वर्तमान समय में नये भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 (RFCTLARR) के अनुच्छेद–114 के द्वारा निरसित कर दिया गया और यह अधिनियम ''भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 (RFCTLARR),'' के नाम से अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के अन्तर्गत भू–स्वामियों के अतिरिक्त असंख्य कृषक, उप–कृषक, झूम (स्थानान्तरित) कृषक, बटाईदार, भूमिहीन श्रमिक, अतिक्रमणकारी आदि के हितों का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में उन अधिवासियों के लिए भी प्रावधान है जो उस भूमि पर लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं किन्तु उनके पास भू–स्वामित्व का कोई अधिकृत दस्तावेज मौजूद नहीं है। ***इसमें यह सुनिश्चित नहीं है कि वे भू–स्वामी जिनकी भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनको अपनी भूमि के अधिग्रहण से मिलने वाले मुआवजे की राशि से उसी क्षेत्र में उसी मात्रा (रकवा) में भूमि खरीदना शायद ही संभव हो सकेगा।*** इसका मुख्य कारण भूमि के मुआवजों का निर्धारण भूमि के न्यूनतम मूल्य पंजिका (MVR) के आधार पर किया जाना है, जो इसकी कीमत का उचित प्रतिस्थापन मूल्य नहीं होता (क्योंकि न्यूनतम मूल्य पंजिका (MVR) की गणना वास्तविक बाजार मूल्य के समतुल्य नहीं होती)। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोग बहुत कम स्थितियों में अपने आप को निकटवर्ती क्षेत्र में पुनर्स्थापित करने में सक्षम हो सकेंगे।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) एवं बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 (BRFCTLARR Rules, 2014) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत भू–अर्जन से प्रभावित परिवारों की क्षतिपूर्ति, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु समुचित सरकार या अधियाची इकाई उत्तरदायी होगी। इस अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण से पूर्व सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (Social Impact Assessment*) अध्ययन को कार्यान्वित करने को एक महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में सम्मिलित किया गया है।

*अनुच्छेद-4, अध्याय-II का RFCTLARR Act, 2013

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों में "सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन" से लेकर मुआवजे के उचित वितरण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के निष्पादन तक का प्रावधान किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं :–

- अधिनियम की अनुच्छेद–4 के अन्तर्गत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की बात कही गई है। अध्ययन के पश्चात् प्रभावित क्षेत्र में जन सुनवाई (Public Hearing) का प्रावधान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम में संबंधित जिला प्रशासन द्वारा अनुच्छेद–11, 19, 21 एवं 23 के अन्तर्गत तीन अन्य अधिसूचनाओं के प्रकाशन का भी प्रावधान है।
- अधिनियम के अनुच्छेद–11 के अन्तर्गत संबंधित जिला प्रशासन द्वारा समाचार–पत्र में उन भू–धारियों की सूची के प्रकाशन का प्रावधान है जिनकी भूमि को अधिगृहित किये जाने की संभावना है।
- अधिनियम के अनुच्छेद–19 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यकतानुकूल जिला प्रशासन द्वारा योजनाओं का निर्माण एवं सूचनाओं के प्रकाशन का प्रावधान किया गया है।
- अधिनियम के अनुच्छेद–21 एवं 23 के अन्तर्गत लोगों की आपत्तियों एवं क्षतिपूर्ति पर भी विचार करने एवं उनको यथोचित रूप से पूरा किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- अधिनियम के अनुच्छेद–11 के उपनियम–4 के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशनोपरान्त परियोजना कार्य की पूर्णता तक किसी भी व्यक्ति द्वारा उस क्षेत्र के भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगायी गई है।
- अधिनियम के अनुच्छेद–26 के अन्तर्गत समाहर्त्ता द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के प्रारम्भ होने से पूर्व उस क्षेत्र की भूमि की कीमत को प्रचलित बाजार मूल्य के अनुरूप अद्यतीकृत एवं संशोधित किये जाने का प्रावधान किया गया है। भूमि की बाजार मूल्य के अद्यतीकरण एवं संशोधन की तिथि वही होगी जो अधिनियम के अनुच्छेद–11 के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि होगी।

1.7 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का स्वरूप :–

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार से हैं :–

(1) नगद

(2) भूमि के बदले भूमि

(3) इंदिरा आवास

इस योजना के अंतर्गत निर्मित मकान का प्रावधान है। इसका विस्तार उन अधिवासियों अथवा वास रहित परिवारों तक किया जा सकता है, जो उस प्रभावित क्षेत्र में अधिसूचना की तारीख से न्यूनतम तीन (3) वर्ष पहले से निवासरत हैं।

(4) रोजगार

अधिनियम के प्रावधानों में यह व्यवस्था की गयी है कि जो परियोजनायें रोजगारोन्मुख हैं, वहाँ परियोजना से प्रभावित लोगों को उचित प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के पश्चात् रोजगार प्रदान करने की बात की जा सकती है। इस रोजगार के अंतर्गत मजदूरी की राशि भी तय की गई है, जो तत्कालीन किसी भी अन्य प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं हो सकता है। इस प्रकार के रोजगार हेतु प्रति परिवार न्यूनतम एक व्यक्ति के रोजगार का प्रावधान है। साथ ही, यदि संभव हो तो उसी प्रकार की अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत भी उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है।

(5) निर्वाह अनुदान

विस्थापित परिवारों को उनके तात्कालिक जीवन–यापन एवं भरण–पोषण आदि हेतु भी कुछ राशि निर्वाह–अनुदान के रूप में दी जा सकती है।

(6) परिवहन लागत

विस्थापित परिवारों को अपने वस्तुओं एवं मवेशियों सहित स्थानांतरण करने हेतु एकमुश्त परिवहन व्यय को देने का प्रावधान है।

(7) एक मुश्त अनुदान

इसके अनुसार कारीगरों/स्वरोजगार युक्त व्यक्तियों के लिए भी एकमुश्त सहयोग का प्रावधान है।

(8) पुनर्वास भत्ता

अधिनियम में पुनर्वास हेतु कुछ एकमुश्त भत्ते का प्रावधान भी किया गया है। इस प्रकार भूमि अधिग्रहण, 2013 की विधिक संरचना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की विधिक स्तर पर अपनायी जाने वाली विधिक प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। इसके लिए स्पष्टतः पृथक–पृथक धारायें बनायी गई है और उस धारा के अंतर्गत अपनाये जाने वाले प्रावधान एवं समयावधियों का भी निर्धारण किया गया है।

इसके साथ ही उक्त अधिनियम में हितबद्ध लोगों के लिए मुआवजे के विविध स्वरूपों एवं दरों के निर्धारण संबंधी प्रावधान भी किए गए है इसलिए प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत हितबद्ध लोगों से मुआवजे के विविध स्वरूपों, दरों के निर्धारण एवं उससे मिलने वाली राशियों के उपयोग आदि से संबंधित विचारों का संकलन किया गया, जिसकी विवेचना निम्नवत् है:–

1.8 प्रभावित परिवारों द्वारा क्षतिपूर्ति के माँग का स्वरूप :–

सारणी 1.1

क्षतिपूर्ति (मुआवजे) की माँग का स्वरूप

क्षतिपूर्ति वह राशि है जो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के अधिग्रहण के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। क्षतिपूर्ति की यह राशि विधि सम्मत एवं मानक मूल्य के अनुरूप नगद या अन्य प्रकारों (जैसे भूमि, मकान आदि) में दिया जा सकता है।

मुआवजे का स्वरूप	मुद्रा	भूमि	मुद्रा एवं भूमि
(प्रतिशत) (%)	82.36%	5.88%	11.76%

नोट :– प्रभावित होने वाले कुल रैयतों के उत्तर का प्रतिशत

स्रोत :– क्षेत्र कार्य

क्षतिपूर्ति सामान्य रूप से भूमि अथवा सम्पत्ति के स्वामियों को दिया जाता है वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन का प्रावधान परियोजना से गंभीर (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष) रूप से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए किया जाता है। तालिका से स्पष्ट है कि मुआवजे के रूप में सर्वाधिक 82.36% परिवारों ने मुद्रा जबकि 5.88% परिवारों ने भूमि, तथा 11.76% परिवारों ने भूमि एवं मुद्रा दोनों के रूप में क्षतिपूर्ति की माँग की है।

1.9 भू–स्वामियों के द्वारा मुआवजे (धन–राशि) के उपयोग का प्रारूप :–

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की अनुसूची–02 के अनुसार भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों को क्षतिपूर्ति का भुगतान मुद्रा, भूमि, मकान या सभी रूपों में किया जा सकता है। इसका सामान्य निर्णय परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों एवं अधियाची इकाई की आम सहमति पर निर्भर करता है। अतः इस क्रम में जब सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) दल द्वारा हितबद्ध लोगों से मुआवजे की राशि के उपयोग को जानने का प्रयास किया गया तो सभी प्रभावित परिवारों द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि का एकाधिक मदों में उपयोग किए जाने की बात कही गई। फलतः इनका योग प्रतिदर्श के योग के समान नहीं भी हो सकता है।

सारणी 1.2

भू–स्वामियों के द्वारा मुआवजों (धन–राशि) के उपयोग का प्रारूप

क्रम	उपयोग का वर्गीकरण	प्रतिशत (%)
1	कृषि भूमि का क्रय	35.29
2	कृषि में निवेश	11.76
3	गृह निर्माण	17.65
4	घरेलू खर्च	11.76
5	शादी– विवाह	5.88
6	बैंक में जमा	5.88
7	व्यापार में निवेश	11.76

स्रोत :– क्षेत्र कार्य

प्रभावित परिवारों में से सर्वाधिक (35.29%) परिवारों ने मुआवजे से प्राप्त राशि का उपयोग कृषि भूमि का क्रय, करने की बात कही है। 17.65% परिवारों ने गृह निर्माण हेतु, 11.76% परिवारों ने व्यापार में निवेश, 11.76% परिवारों ने घरेलू खर्च, 11.76% परिवारों ने कृषि में निवेश, 5.88% परिवारों ने बैंक में जमा तथा 5.88% परिवारों ने शादी–विवाह में उपयोग करने की बात कही है।

1.10 उद्देश्य :–

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) का प्रमुख उद्देश्य परियोजना से प्रभावित होने वाले संरचनाओं, प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों सहित उसके सामाजिक प्रभावों, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के कार्य–योजना (RAP) की संपूर्ण विवरणी को तैयार करना है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के एक अंग के रूप में, सुपौल जिला के सुपौल अंचल के डभारी चकला मौजा में सर्वेक्षण किया गया, जिसका उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों, संरचनाओं आदि की पहचान करना तथा परियोजना के विपरीत प्रभावों की सूची तैयार करना था।

(A) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का उद्देश्य :–

I. *भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले परिवारों या* हितबद्ध लोगों *(भू–स्वामी, बटाईदार, कृषक–मजदूर, गैर कृषक मजदूर) का मूल्यांकन करना।*

II. *प्रभावित व्यक्तियों एवं उनके परिवारों का सामाजिक–आर्थिक एवं जनांकिकीय रूपरेखा का मूल्यांकन करना।*

III. हितबद्ध लोगों *पर भूमि अधिग्रहण के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों को समझना।*

IV. *परियोजना के लागत–लाभ (Cost-Benefit) का विश्लेषण करना।*

V. *पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के प्रति लोगों की धारणाओं का मूल्यांकन करना।*

(B) सुपौल जिलान्तर्गत आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण परियोजना का महत्त्व :-

- इस आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण से कई गांवों के लोगों का सीधा सम्पर्क सुपौल से होगा।
- डभारी और सुपौल के बीच की दूरी कम होगी तथा समय का भी बचत होगा।
- डभारी चकला क्षेत्र का विकास होगा।
- डभारी चकला मौजा के लोगों के रोजगार में वृद्धि होगी।
- इससे लोगों को जिलान्तर्गत स्वास्थ्य सुविधा मिलने में सुविधा प्राप्त होगी।
- कृषि उत्पादों का विपणन आसान होगा और रोजगार के नये अवसर प्राप्त होगें।
- सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ त्वरित गति से प्राप्त हो सकेगी।
- डभारी चकला मौजा के गांवों तक प्रशासन की पहुंच आसान होगी।
- डभारी चकला मौजा में गैर–सरकारी संगठन, निजी कंपनियों आदि तक को भी पहुंचने में सुविधा होगी।
- इन सब के अतिरिक्त इससे स्थानीय क्षेत्र के भूमि की कीमतों के बढ़ने की संभावना है।

1.11 जन–सुनवाई :–

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा–5 के अंतर्गत जन–सुनवाई कार्यक्रम दिनांक 12.07.2022 को पंचायत सरकार भवन, बैरिया में संपादित किया गया। उक्त जन–सुनवाई की तिथति एवं स्थान का निर्धारण समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा ज्ञापांक 342 / भ0अ0, दिनांक 29.06.2022 के माध्यम से किया गया।

सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल अंचल के डभारी चकला मौजा में आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण परियोजना हेतु जन–सुनवाई के दौरान सर्वप्रथम हितबद्ध रैयतों को अंतरिम प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं से अवगत कराया

गया, तत्पश्चात् उनके अभिव्यक्तियों, विचारों आदि मांगे गए। जन–सुनवाई के दौरान जिन लोगों ने अपनी–अपनी बाते रहीं, वे निम्नवत् है–

जन–सुनवाई के दौरान बिन्देश्वरी सिंह (खाता–10, खेसरा–1214), विश्वनाथ सिंह (खाता–5, खेसरा–1267, 1268), सुव्रत सिंह (खाता–12, खेसरा–1267, 1208) आदि ने शीघ्र अतिशीघ्र बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजे के वितरण की मांग की है। जबकि कुशेश्वर सिंह (खाता–5, खेसरा–1263) ने बताया कि सूची में उपलब्ध कराये गये रैयतों एवं भूमि की मात्रा की तुलना में वास्तविक रूप से अधिक भूमि का अधिग्रहण कराया गया है। अतः उन्होंने मुआवजे के वितरण के पूर्व भूमि की पुनर्माप का अनुरोध किया है।

उक्त जन–सुनवाई के दौरान सामाजिक प्रभाव मूल्यांक अध्ययन दल के अतिरिक्त अपर भू–अर्जन पदाधिकारी सह अनुमण्डलाधिकारी श्री मनीष कुमार, राजस्व अधिकारी श्री पिन्टु कुमार चौधरी, राजस्व कर्मचारी चन्द्र शेखर प्रसाद, मुखिया तुलाइ पासवान एवं अन्य लोग मंचासीन थे, जिन्होंने (विशेषकर परियोजना निदेशक एवं अनुमण्डलाधिकारी ने) लोगों की शंकाओं, आशंकाओं, अपेक्षाओं एवं जिज्ञासाओं को यथासंभव दूर करने का प्रयास किया।

1.12 अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष :–

- विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 30 भू–खण्डों पर तात्कालिक रूप से 17 उत्तरदाताओं ने परियोजना से प्रभावित होने के प्रति अपने विचारों/अभिमतों को व्यक्त किया है। इन भू–खण्डों के अधिकांश भू–स्वामी अपने परिवारों की प्रकृति एकल स्वरूप का बताते हैं किन्तु भूमि अधिनियम की धारा–3 में निर्दिष्ट परिवार की परिभाषा के अनुसार उनमें से अधिकांश परिवारों की संरचना संयुक्त प्रकार की है। भू–स्वामियों ने यह कहा है कि भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिलने के पश्चात् वे अपने पारिवारिक इकाईयों के बीच भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के मानक (पारिवारिक इकाई की गणना) के अनुकूल मुआवजा का वितरण करेगे। यदि अधिनियम के मानकों के अनुसार देखा जाए तो 17 उत्तरदाताओं के बीच पारिवारिक इकाईयों की संख्या 77 से अधिक है।
- इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 1.664 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है।
- परियोजना के लिए चयनित स्थल उपयुक्त प्रतीत होता है। इसलिए कार्य संपादन किया गया है।
- जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये भू–स्वामियों की सूची, कुछ मामलों में, जमीनी वास्तविकता से भिन्न पाये गये। इस कारण अभिलेखों के अद्यतीकरण की आवश्यकता महसूस की गई।
- चयनित स्थान पर पुल एवं पहुंच पथ संरचना का काम प्रगति पर है।

1.13 सुझाव :–

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित सुझावों पर विचार किया जा सकता है :–

- भू–मूल्य का निर्धारण : न्यूनतम मूल्य पंजिका (M.V.R.) के अद्यतीकरण की आवश्यकता है।
- संरेखण/पुनर्माप : संरेखण जमीन पर स्पष्ट होना चाहिए। मुआवजे के वितरण के पहले अधिग्रहित भूमि के पुनर्माप की आवश्यकता है।
- भू–अभिलेख प्रबंधन/अद्यतीकरण : भू–अभिलेखों को अद्यतन किया जाना चाहिए।
- मुआवजे का यथाशीघ्र भुगतान : मुआवजे का भुगतान यथाशीघ्र किया जा सकता है।

समय पर मुआवजे के भुगतान की सुनिश्चितता अपेक्षित है।

1.14 संस्थागत व्यवस्था :–

अध्ययन की आवश्यकताओं के दृष्टिगत संस्थान ने विषय की विशेषज्ञता के आधार पर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल (Social Impact Assessment (SIA) Team) का गठन किया। तथ्यों के संकलन हेतु संस्थान के दिशा–निर्देश के अनुकूल शोध सहायकों (RA) का चयन किया गया। परियोजना समन्वयक द्वारा अध्ययन की आवश्यकताओं के दृष्टिगत शोध सहायकों (RAs) हेतु संस्थान परिसर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में "भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 एवं नियमावली 2014" से संबंधित विविध आधारभूत जानकारी एवं प्रावधानों पर परिचर्चा की गयी। अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान (ANSISS), पटना में तथ्य संकलन प्रारूप {Data Collection Format (DCF)} का निर्माण किया गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल का समन्वयन संस्थान के संकाय सदस्य डॉ० कौशल किशोर (सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र संभाग) के द्वारा किया गया। अध्ययन दल आंकड़ों के संकलन एवं प्रतिवेदन को तैयार करने में अपनी महत्ती भूमिका का निर्वहन किया।

1.15 सरकारी दस्तावेज के अनुसार मौजागत आधार पर भू–स्वामियों के भूमि का विवरण :–

अपर भू–अर्जन पदाधिकारी सह अनुमण्डल पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक–19–2, दिनांक– 07.01.2022 के द्वारा सुपौल अंचल के अर्न्तगत अधिगृहित होने वाली 1.664 एकड़ भूमि का विवरण उपलब्ध कराया गया है। जिनका विवरण परिशिष्ट–D में सलग्न है:–

1.16 वैकल्पिक स्थल :–

स्थानीय लोगों एवं अधियाची इकाई के अनुसार प्रस्तावित संरेखण सर्वोत्तम है। इससे बेहतर कोई भी अन्य विकल्प संभव नही है।

अध्याय–II

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल की संरचना, दृष्टिकोण, कार्य–प्रणाली एवं अनुसूची

सुपौल अंचल के अंतर्गत डभारी चकला मौजा में आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ के कार्य से प्रभावित परिवारों और हितबद्ध लोगों से तथ्यों का संकलन निम्नांकित तरीके से किया गया।

2.1 अध्ययन दल के सदस्यों का विवरण :–

सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल अंचल में आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण हेतु सुपौल अंचल में 1.664 एकड़ में स्थायी भू–अर्जन परियोजना के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन हेतु अध्ययन क्षेत्र में प्रभावित परिवारों/रैयतों से तथ्यों के संकलन हेतु 03 (तीन) परियोजना कर्मियों (शोध अधिकारी–1 एवं शोध सहायक–2) की नियुक्ति संस्थान के नियम, शर्तों एवं सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन की आवश्यकताओं के अनुकूल किया गया। इसके लिए एक दल का गठन किया गया जिसमें 1 परियोजना निदेशक, तथा 1 अनुसंधान अधिकारी, 2 अनुसंधान सहायक ने साथ मिलकर काम किया। जिन सदस्यों को मिलाकर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल का गठन किया गया, उनके नाम, पद एवं योग्यता इस प्रकार हैं:–

सारणी 2.1

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल के सदस्य

क्र० सं०	नाम	पदनाम	योग्यता
1	डॉ० कौशल किशोर	सहायक प्राध्यापक–सह– परियोजना निदेशक	पी-एच०डी०
2	डॉ० अरविन्द	अनुसंधान अधिकारी	पी-एच०डी०
3	उजाला कुमार	अनुसंधान सहायक	स्नातकोत्तर
4	बेबी कुमारी	अनुसंधान सहायक	स्नातकोत्तर

2.2 सूचना संकलन पद्धति एवं उपकरणों के विवरण :–

सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल अंचल के डभारी चकला मौजा में आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण हेतु सुपौल अंचल में 1.664 एकड़ में स्थायी भू–अर्जन परियोजना से प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन 'भू–अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, भारत सरकार, 2013 के तहत करने का उद्देश्य रखा गया है। प्राथमिक सूचनाओं के संकलन हेतु साक्षात्कार–अनुसूची का निर्माण किया गया, जबकि द्वितीयक सूचनाओं के संकलन हेतु आधिकारिक दस्तावेज एवं अन्य स्रोतों का उपयोग किया गया है।

2.3 अध्ययन की पद्धति एवं उपागम :–

प्रस्तुत अध्ययन भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 तथा बिहार भूमि अधिग्रहण एवं नियमावली 2014 में वर्णित सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के आलोक में संपादित किया गया है। इसके लिए क्षेत्र भ्रमण एवं सामाजिक सर्वेक्षण उपागम को आधार बनाया गया है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के प्रावधानों के अनुरूप इसे पंचायत एवं ग्राम सभा के सदस्यों के सहयोग से संपादित किया गया है, जिसमें प्रभावित परिवारों की आकांक्षाओं को यथासंभव समाहित करने का प्रयास किया गया है। इस कार्य (Assignment) के निष्पादन के क्रम में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल (SIA Team) द्वारा पंचायत के सदस्यों के सहयोग से प्रस्तावित संरेखण (Alignment) के प्रत्येक भू–खण्ड पर निर्मित संरचना को भी जानने का प्रयास किया गया है।

जनगणना–सर्वेक्षण विधि के अनुसार प्रस्तुत अध्ययन में प्रभावित परिवारों के घर–घर जाकर संरचित साक्षात्कार–अनुसूची (Interview Schedule) के माध्यम से आवश्यक जानकारियों को एकत्रित करने हेतु सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है। संरचित साक्षात्कार–अनुसूची का निर्माण "भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) एवं बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 (BRFCTLARR Rules, 2014)" के प्रावधानों के आलोक में की गई है। इस हेतु 4 (चार) प्रकार की अनुसूचियों का निर्माण किया गया है:

(A) **तालिका अनुसूची**
(Listing Schedule)

(B) **ग्राम अनुसूची**
(Village Schedule)

(C) **परिवार अनुसूची (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित)**
(Household Schedule)

(D) **अधियाची–वर्ग अनुसूची**
(Requisitioning Authority Schedule)

परिवार अनुसूची का उपयोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों से जानकारी एकत्र करने हेतु किया गया, जिसके अन्तर्गत

(i) भू–स्वामी

(ii) बँटाईदार

(iii) कृषि श्रमिक एवं गैर कृषि श्रमिक आदि सम्मिलित हैं।

प्रस्तावित अध्ययन के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रावधानों के प्रवर्तन, लागत–लाभ विश्लेषण (Cost Benefit Analysis) एवं मुआवजा के स्वरूप एवं उपयोग की संभावनाओं के साथ–साथ परियोजना की साध्यताओं आदि के विश्लेषण पर केन्द्रित कर किया गया है। वृहद् परिदृश्य में जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से ग्राम सभा के सदस्यों के सहयोग से केन्द्रित समूह परिचर्चा (Focused Group Discussion) का भी आयोजन किया गया। सर्वेक्षण के अंतर्गत उन सभी भू–स्वामियों एवं उनके परिवारों को सम्मिलित किया गया, जो प्रभावित क्षेत्र में अपनी आजीविका हेतु कार्यरत थे और इन क्षेत्रों के अधिग्रहण के पश्चात् उससे वंचित होने की संभावना है।

अधिग्रहित होने वाली भूमि का विवरण, प्रभावित परिवारों की सूची एवं मानचित्र आदि अनुमण्डल कार्यालय, सुपौल द्वारा उपलब्ध कराया गया था।

साक्षात्कार–अनुसूची के निर्माण में बिहार भूमि अधिग्रहण नियमावली, 2014 के प्रपत्र– III (Form-III) में निर्दिष्ट समसामयिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक चरों (Variables), जनांकिकीय चर (Demographic Variable), भूमि के विवरण, रैयतों के विवरण, भूमि की कीमतें, भूमि पर निर्मित संरचना, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवार, मुआवजे की राशि का उपयोग, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता, बच्चों, बूढ़े एवं महिलाओं पर पड़नेवाले प्रभाव, बुनियादी संरचना, प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव, कृषि उत्पादन एवं फसल–चक्र, उत्पादकता, प्रवास सहित प्रस्तावित परियोजना के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों आदि} के दृष्टिगत अनुसूची/प्रश्नावली का निर्माण किया गया।

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के अन्तर्गत समसामयिक प्रथाओं, स्थानीय भाषा (हिन्दी/मैथिली) में उपलब्ध सूचनाओं, नागरिक समाज आदि के टिप्पणियों एवं विचारों को यथासंभव समाहित करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अध्ययन में उन सभी तत्वों एवं विशेषताओं को भी समाहित करने का प्रयास किया गया है, जो सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए आवश्यक प्रतीत हुए। प्रस्तुत अध्ययन में भूमि अर्जन के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावों के प्रत्येक मामलों से जुड़े हुए समसामयिक तत्वों एवं परिणामों को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्ययन के दौरान सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल (SIA Team) द्वारा उन सभी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विवरणों को भी प्राथमिक स्तर पर संकलित करने का प्रयास किया गया है जो सरकारी अभिलेखों या इंटरनेट आदि पर भी सामान्यतः उपलब्ध नहीं हैं। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन उस उपयुक्त समय पर सम्पादित किया गया, जब प्रभावित परिवारों के मन में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया एवं मुआवजे के भुगतान को लेकर अनेक प्रकार की जिज्ञासायें एवं आशंकायें थी। अतः अध्ययन के दौरान प्रभावित होनेवाले परिवारों की जिज्ञासाओं का निराकरण कर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया गया।

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के दौरान प्रभावित परिवारों के साथ साक्षात्कार के अतिरिक्त अनुमंडल कार्यालय के विविध कर्मियों के अतिरिक्त जिला अपर भू–अर्जन पदाधिकारी सह अनुमण्डल पदाधिकारी, सुपौल, अंचलाधिकारी (CO), तथा राजस्व कर्मचारी (Rajaswa Karmachari) से मिलकर उपयोगी तथ्यों को एकत्रित किया गया। इसके साथ परियोजना अभियंता (Project Engineer) सुशांत शेखर जी से भी तथ्यों के संकलन आदि हेतु विचार विमर्श किया गया।

2.4 सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के संपादन की प्रक्रियाएँ/चरण :–

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के संपादन में अपनाये गये विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है

1. प्रारम्भिक चरण (Preparatory Phase) :-

a) साहित्य की समीक्षा (Review of Literature)

b) परियोजना कर्मी की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण (Recruitment and Training of the project Staff)

c) आरंभिक/प्रायोगिक सर्वेक्षण (Pilot Survey)

d) अनुसूची का विकास (Schedule Preparation)

2. क्षेत्र सर्वेक्षण एवं आँकड़ों का संकलन (Field visit and collection of Data) :-

a) पारिवारिक अनुसूची (Household Schedule)

b) केन्द्रित समूह परिचर्चा (Focus Group Discussion)

c) कृषक श्रमिक एवं गैर कृषि श्रमिक के साथ साक्षात्कार (Interview with Labourers)

d) अधिकारियों एवं अधियाची इकाई के साथ परिचर्चा (Discussion with Officials and Requisitioing Authority)

3. आँकड़ों का विश्लेषण (Analysis of Data) :-

a) तथ्यों की प्रविष्टि (Data entry)

b) तथ्यों का शोधन एवं संपादन (Data Cleaning and Editing)

c) आँकड़ों का कूट संकेतन (Re-Coding of Data)

d) सारणीयन एवं विवेचन (Tabulation & Interpretation)

4. अंतरिम–प्रतिवेदन का निर्माण (Draft Report Preparation) :-

5. जन–सुनवाई (Public-Hearing):-

6. जन–सुनवाई से प्राप्त प्रतिक्रिया (Feedback) **को शामिल करते हुए अंतिम प्रतिवेदन की प्रस्तुति (Submission of Final Report incorporating feedbacks of Public Hearings):-**

अध्याय–III

भूमि का मूल्यांकन

इस अध्याय में सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल अंचल के डभारी चकला मौजा में आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण के कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले प्रत्येक भू–स्वामियों की भूमि का विस्तृत ब्यौरा एवं मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है।

3.1 संरेखण के अनुसार भूमि अधिग्रहण का विवरण, सूची और प्राथमिक स्रोत से प्राप्त भूमि की जानकारी :–

अनुमण्डल कार्यालय, सुपौल के द्वारा उपलब्ध कराये गए नजरी नक्शा के अनुसार सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल अंचल में आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। इस परियोजना के अंतर्गत 30 भू–खण्डों से कुल 1.664 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना प्रस्तावित है। अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का संरेखण आकृति– 1 में दर्शाया गया है।

3.2 भूमि अधिग्रहण का परियोजना क्षेत्र पर प्रभाव :–

इस सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल अंचल में आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण हो जाने से सुपौल अंचल के लोग यातायात सहित अनेक प्रकार से लाभान्वित होंगे। वतर्मान समय में आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण का कार्य प्रगति है। परियोजना क्षेत्र के आस–पास ऐसा कोई भी मंदिर, स्कूल या सार्वजनिक स्थल नहीं है, जो आर०सी०सी० पुल एवं पहुँच पथ के कार्य के कारण प्रभावित हो सकता है।

3.3 परियोजना हेतु कुल आवश्यक भूमि :–

परियोजना हेतु 30 भू–खण्डों से कुल 1.664 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जो विविध रैयतों (भू–स्वामियों) से संबंधित है।

3.4 परियोजना क्षेत्र के आस–पास के सार्वजनिक एवं अप्रयुक्त भूमि का वर्तमान उपयोग :–

स्थानीय निवासियों के कथनानुसार उपरोक्त भूमि का अधिकांश उपयोग कृषि कार्यों हेतु संलग्न है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता था।

3.5 भूमि का विवरण एवं भू–खण्डों का उपयोग :–

अधिग्रहण के अंतर्गत प्रस्तावित भू–खण्ड कृषि योग्य भूमि है. कृषि भू–खण्डों पर मुख्य रूप से गेंहू, धान, मक्का, मूंग एवं पटुआ उपजाया जाता है।

3.6 परियोजना के लिए अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भू–खण्डों की संख्या एवं अवस्थिति :–

सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल अंचल में आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण में स्थायी भू–अर्जन परियोजना हेतु अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के अंतर्गत 30 भूखंडों से 17 उत्तरदाताओं ने परियोजना से प्रभावित होने के प्रति अपने विचारों/अभिमतों को व्यक्त किया है। इन भू–खण्डों के अधिकांश भू–स्वामित्व एकल प्रकृति के है किन्तु भूमि अधिनियम की धारा–3 में निर्दिष्ट परिवार की परिभाषा के अनुसार उनमें से अधिकांश परिवारों की संरचना संयुक्त प्रकार की है। भू–स्वामियों ने यह कहा है कि भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिलने के पश्चात् वे अपने पारिवारिक इकाईयों के बीच भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के मानक (पारिवारिक इकाई की गणना) के अनुकूल मुआवजा का वितरण करेंगे। यदि अधिनियम के मानकों के अनुसार

देखा जाए तो 17 उत्तरदाताओं के बीच पारिवारिक इकाईयों की संख्या लगभग 77 से अधिक है। इन सभी हितबद्ध रैयतों ने प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने का दावा पेश किया है।

3.7 भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग एवं उसका वर्गीकरण :–

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की प्रकृति मुख्यतः भीठ प्रकार की है उसके स्वामित्व का स्वरूप खतियानी / विक्रयनामा / रैयती प्रकार का है। यहाँ की मिट्टी दोमट है। सिंचाई हेतु बरसात के मौसम में बरसाती पानी एवं गर्मी के मौसम में पंपिंग–सेट का उपयोग किया जाता है। अधिग्रहित भूमि में उत्पादित होने वाले फसलों के प्रकार एवं उनकी प्रति एकड़ उत्पादकता सारणी संख्या–5.2 में दी गयी है। गेहूं, धान एवं मक्का आदि इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं, जिसमें गेंहूँ (100%), धान (100%), मक्का (100%), मूंग (100%) एवं पटुआ (100%) मुख्य फसल के रूप में प्रभावित परिवारों द्वारा उत्पादित किया जाता है। गेंहू, धान, मक्का, मूंग एवं पटुआ की वार्षिक उत्पादकता प्रति एकड़ क्रमशः 16, 20, 35, 2 एवं 12 क्विंटल प्रति एकड़ है। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रभावित कृषकों द्वारा आजीविका हेतु खाद्य एवं नगदी दोनों प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। अर्जनाधीन भूमि पर रैयतों / हितबद्ध लोगों द्वारा कृषि कार्य का संपादन किया जाता था।

3.8 भू–धारण का आकार, स्वामित्व का स्वरूप, भूमि का वितरण एवं आवासीय उपलब्धता :–

सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश भूमि रैयती, विक्रयनामा एवं खतियानी आदि प्रकार का पाया गया। इन भू–खण्डों के अधिकांश भू–स्वामित्व एकल प्रकृति के है किन्तु भूमि अधिनियम की धारा–3 में निर्दिष्ट परिवार की परिभाषा के अनुसार उनमें से अधिकांश परिवारों की संरचना संयुक्त प्रकार की है।

सारणी 3.1

अधिग्रहित भूमि के अतिरिक्त अन्य भू-खण्डों की उपलब्धता एवं प्रकार

अधिग्रहण के अतिरिक्त अन्य जमीनों की उपलब्धता एवं प्रकार		संख्या	प्रतिशत (%)
घर डिसमिल में	10 तक	13	76.47
	10–20	3	17.65
	20–30	1	5.88
	कुल	**17**	100.00
कृषि	2.5 एकड़ तक	10	58.82
	2.51–5 एकड़	3	17.65
	5 एकड़ से ज्यादा	4	23.53
कुल	**कुल**	**17**	100.00

स्त्रोत :– क्षेत्र कार्य

सारणी 3.1 से स्पष्ट है कि परियोजना से प्रभावित हितबद्ध रैयतों में से लगभग (76.47%) लोगों के पास 10 डिसमिल या उससे कम, 17.65% के पास 10–20 डिसमिल तक एवं 5.88% रैयतों के पास 20–30 डिसमिल के मध्य आवासीय भूमि उपलब्ध है।

इसी प्रकार हितबद्ध रैयतों में से आधे लोगों के पास (58.82%) 2.5 एकड़ तक की कृषि भूमि, (17.65%) रैयतों के पास 2.51 से 5.00 एकड़, (23.23%) रैयतों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि उपलब्ध है।

3.9 भूमि का मूल्य :–

किसी भी परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान अद्यतीकृत भू–कीमतों के आधार पर किये जाने का प्रावधान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2014 में किया गया है।

अधिनियम के अनुच्छेद 26 के अनुसार जमीन के न्यूनतम मूल्य पंजिका (MVR) के निर्धारण की तिथि वही होनी चाहिए, जिस तिथि को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है।

सारणी 3.2

न्यूनतम मूल्य पंजिका के अनुसार भूमि का मूल्य

मौजा का नाम	थाना नं0	व्यवसायिक		आवासीय		अन्य	दो फसला	एक फसला	बलुआही
		मुख्य सड़क/ प्रधान सड़क/ एन0एच0/ एस0एच0	शाखा सड़क	मुख्य सड़क/ प्रधान सड़क/ एन0एच0/ एस0एच0	शाखा सड़क				
A) Dabhari कोशी तटबंध के बाहर	156	***	***	***	20000	15000	4000	***	
A) तटबंध के भीतर **(river side)**		***	***	***	15000	10000	2000	1500	1000

स्रोत :– जिला निबंधन कार्यालय, सुपौल

भूमि का सरकारी मूल्य न्यूनतम मूल्य पंजिका (MVR) के अनुसार दर्शाया गया है। जिला निबंधन कार्यालय, सुपौल ने इस क्षेत्र की भूमि को विभिन्न वर्गों जैसे व्यावसायिक, आवासीय, अन्य, दो फसला, एक फसला एवं बलुआही आदि भूमि में विभाजित किया है, इनका विस्तृत विवरण सारणी 3.2 में उल्लेखित है।

अध्याय–IV

प्रभावित परिवारों एवं उनकी संपत्ति की गणना एवं आंकलन

सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल अंचल के डभारी चकला मौजा में आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण न केवल भू–स्वामियों को प्रभावित करेगा, बल्कि इसके साथ ही परियोजना निर्माण से वे लोग भी प्रभावित हो सकते हैं जो उक्त भू–खण्डों पर मजदूरी, बटाईदार एवं छोटे दुकानदार के रूप में काम करते है।

4.1 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवार :–

सर्वेक्षण के दौरान (30) भू–खण्डों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले 17 हितबद्ध रैयतों ने परियोजना से प्रभावित होने के प्रति अपने विचारों/अभिमतों को व्यक्त किया है। इन भू–खण्डों के अधिकांश भू–स्वामित्व एकल प्रकृति के है किन्तु भूमि अधिनियम की धारा–3 में निर्दिष्ट परिवार की परिभाषा के अनुसार उनमें से अधिकांश परिवारों की संरचना संयुक्त प्रकार की है। भू–स्वामित्वों ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिलने के पश्चात् वे अपने पारिवारिक इकाईयों के बीच भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के मानक (पारिवारिक इकाई की गणना) के अनुकूल मुआवजा का वितरण करेगे। यदि अधिनियम के मानकों के अनुसार देखा जाए तो 17 उत्तरदाताओं के बीच पारिवारिक इकाईयों की संख्या 77 से अधिक की होती है। परियोजना हेतु कुल 1.664 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।

4.2 सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों पर प्रभाव :–

प्रस्तावित सुपौल अंचल में आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण का कार्य प्रगति पर है। भू–अर्जन की स्थिति में परियोजना क्षेत्र के निकटवर्ती परिक्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

4.3 राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि पर आश्रित परिवारों एवं सम्पत्तियों की गणना एवं आंकलन :–

परियोजना क्षेत्र में राज्य सरकार के पर्चा/परवाना द्वारा वितरित मामला नहीं पाया गया है। सुपौल जिला के अनुमण्डल कार्यालय द्वारा दी गई सूची में भी उसका कोई उल्लेख नही किया गया है।

4.4 भूमि अधिग्रहण के तीन या अधिक वर्ष पूर्व से शहर में निवासरत व्यक्तियों की स्थिति :–

इस अध्ययन में वैसे परिवारों को प्रवासित परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके परिवार से कोई भी व्यक्ति प्रवासरत (गाँव से बाहर निवास कर रहे) हों। कुल 30 भू–खण्डों से प्रभावित होने वाले परिवारों के कुछेक लोगों ने अपने पारिवारिक सदस्यों के आजीविका/रोजगार हेतु बाहर रहने की बात स्वीकार की है।

4.5 अर्जनाधीन भूमि पर 3 वर्ष पूर्व से आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रूप में आश्रितता :–

परियोजना द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी परिवार अधिग्रहण किये जाने वाले भूमि पर 3 वर्ष पूर्व से स्वामित्व रखते है। प्रभावित होने वाले अधिकांश भूमि पर खेती होती है।

4.6 परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग :–

इस परियोजना से किसी भी परिवार ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने की बात नहीं कही है।

4.7 उत्पादक परिसम्पत्तियों की सूची :–

सर्वेक्षण के दौरान सुपौल अंचल के प्रभावित परिवारों के पास भू–धारण के अतिरिक्त जो अन्य महत्वपूर्ण/उत्पादक सम्पत्तियां पायी गई, उनमें सायकिल, मोटर सायकिल, और विद्युत जनित पंखा प्रमुख है।

सारणी 4.1

उत्पादक परिसम्पत्तियों का प्राक्कलन

क्रम	उत्पादन की सम्पत्ति	कुल संख्या
1	सायकिल	16
2	मोटर सायकिल	11
3	पंखा	71
4	पंपिंग सेट	9
5	ट्रैक्टर	6
6	नलकूल	8
7	थ्रेसर/हार्वेस्टर	3

स्त्रोत :— क्षेत्र कार्य

4.8 भू–खण्डों का वर्तमान उपयोग :—

अर्जनाधीन अधिकतर भू–खण्ड कृषि योग्य हैं, कृषि भू–खण्डों पर खाद्यान्न फसलों विशेषकर गेंहू, धान, मक्का, मूंग एवं पटुआ का उत्पादन किया जाता है। अभिलेखों के अनुसार ये भू–खण्ड रैयती अथवा खतियानी/विक्रयनामा प्रकृति के हैं।

अध्याय–V
प्रभावित परिवारों की सामाजिक–आर्थिक रुपरेखा

5.1 परिचय :–

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का उद्देश्य लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भूमि अधिग्रहण के सामाजिक–आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का परीक्षण करना है। भूमि अधिग्रहण के प्रभावों का विश्लेषण करने से पहले उस क्षेत्र में निवासरत परिवारों के रूपरेखा का अवलोकन करना आवश्यक हो जाता है। इस अध्याय में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के सामाजिक–आर्थिक और जनांकिकीय विशेषताओं का वर्णन किया गया है।

5.2 प्रभावित परिवारों का जनांकिकीय विवरण :–

इस परियोजना से प्रभावित परिवार के सदस्यों की जनांकिकीय रूपरेखा सारणी 5.1 में प्रस्तुत की गई है। खिरनियाँ, हरदिया, दिघरी, धमहारा एवं बुच्चा मौजा के अन्तर्गत कुल 362 भू–खण्डों में से कुछ भू–खण्ड पर परिवार निवासरत है। प्रभावित सभी परिवार हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं। प्रभावित होने वाले परिवार मुख्यतः कृषि कार्य, दैनिक मजदूरी तथा छोटे व्यवसायों पर निर्भर हैं।

सारणी 5.1
प्रभावित परिवारों के सदस्यों का जनांकिकीय विवरण

जनांकिकीय विशेषताएं		संख्या	प्रतिशत (%)
आयु	0–6	13	7.60
	7–14	26	15.20
	15–25	33	19.30
	26–45	49	28.65
	46–60	35	20.47
	60 से ज्यादा	15	8.78
	कुल	171	100.00
लिंग	पुरूष	98	57.31
	महिला	73	42.69
	कुल	171	100.00
वैवाहिक स्थिति	विवाहित	96	56.15
	अविवाहित	74	43.27
	विधवा / विधुर	1	0.58
	कुल	171	100.00

स्रोत :– क्षेत्र कार्य

सारणी से स्पष्ट है कि प्रभावित परिवारों से 0–6 वर्ष की आयु समूह में 7.60% जनसंख्या, 7–14 वर्ष की आयु समूह में 15.20% जनसंख्या, 15–25 वर्ष की आयु समूह में 19.30% जनसंख्या, 26–45 वर्ष की आयु समूह में 28.65% जनसंख्या, 46–60 वर्ष की आयु समूह में 20.47% जनसंख्या तथा 60 से अधिक वर्ष की आयु समूह में 8.78% जनसंख्या प्रभावित परिवारों से है। लैंगिक आधार पर प्रभावित परिवारों के जनांकिकीय विवरण से स्पष्ट है कि कुल संख्या में से 57.31% पुरूष तथा 42.69% महिलाएं हैं। प्रभावित परिवार के सदस्यों के वैवाहिक स्थिति से स्पष्ट है कि प्रभावित होने वाले कुल परिवारों में से 56.15% विवाहित, 43.27% अविवाहित तथा 0.58% विधवा अथवा विधुर है।

5.3 प्रभावित परिवारों के सदस्यों की सामाजिक रूपरेखा :–

इस परियोजना से प्रभावित परिवारों की सामाजिक रूपरेखा सारणी 5.2 में प्रस्तुत की गई है। इस सारणी में प्रभावित परिवारों की जनसंख्या का शिक्षा, धर्म, जाति, उप–जाति आदि के आधार पर वर्गीकरण किया गया है।

सारणी 5.2

प्रभावित परिवारों के सदस्यों का शैक्षिक, धार्मिक एवं जातिगत वर्गीकरण

शिक्षा, जाति एवं धर्म		संख्या	प्रतिशत (%)
शिक्षा	6 वर्ष से कम	8	4.68
	निरक्षर	17	9.94
	प्राथमिक	53	30.99
	मध्य एवं माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक	64	37.43
	उच्च शिक्षा	29	16.96
	कुल	**171**	100.00
धर्म	हिन्दू	171	100.00
जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	171	100.00
उप–जाति	राजधोबी	171	100.00

स्रोत :– क्षेत्र कार्य

प्रभावित परिवारों के सदस्यों के शैक्षिक आधार पर वर्गीकरण से स्पष्ट है कि प्रभावित लोगों में से 4.68% जनसंख्या 6 वर्ष से कम आयु की है, जबकि 9.94% निरक्षर, 30.99% प्राथमिक स्तर, 37.43% मध्य, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर तथा 16.96% लोगों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है।

प्रभावित परिवारों में सभी हिन्दू समुदाय से हैं। प्रभावित परिवारों में से सभी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं।

5.4 हितबद्ध रैयतों और प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति :–

अधिकांश प्रभावित परिवार और सदस्य मध्यम वर्ग एवं निम्न–मध्यम वर्ग से आते है। इनमें से अधिकांश लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं, जो उनका मुख्य पेशा है। इसके परिवार के कुछ सदस्य स्वरोजगार जैसे– शिक्षक, इंजीनियर, दुकानदार, सरकारी कर्मचारी आदि के रूप में कार्यरत पाए गए।

5.5 प्रभावित परिवार के सदस्यों की व्यावसायिक स्वरूप/स्थिति :–

प्रभावित परिवार के सदस्यों का प्राथमिक व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण सारणी 5.3 में प्रस्तुत किया गया है। इसमें पाया गया कि प्रभावित परिवारों की कुल जनसंख्या में 36.26% अभी शैक्षणिक कार्यों में संलग्न हैं।

सारणी 5.3

प्रभावित परिवार के सदस्यों का मुख्य व्यवसाय

प्राथमिक व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत (%)
कृषि कार्य	36	21.05
गैर कृषि कार्य	10	5.85
गृहिणी एवं घरेलू कार्य	45	26.32
कार्य नहीं	9	5.26
सरकारी सेवा	9	5.26
छात्र	62	36.26
कुल	171	**100.00**

स्रोत :– क्षेत्र कार्य

प्रभावित परिवार में करीब 21.05% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, (5.85%) लोग गैर कृषि कार्यों में, 26.32% जनसंख्या गृहिणी के रूप में या पारिवारिक कार्यों में संलग्न हैं, 5.26% लोग किसी काम में संलग्न नहीं है अथवा रोजगार की तलाश में है एवं 5.26% प्रभावित परिवार सरकारी सेवा में संलग्न है।

5.6 भू–स्वामित्व, भू–उपयोग के स्वरूप एवं अर्जनाधीन भूमि से आय का प्रवाह :–

भू–स्वामित्व के स्वरुप के दृष्टिगत अधिकांश परिवारों की प्रकृति संयुक्त रूप में है। एकांकी परिवारों की संख्या अत्यन्त कम है।

आकृति 5.1

लिंग के आधार पर भू–स्वामित्व के वर्गीकरण का प्रतिशत

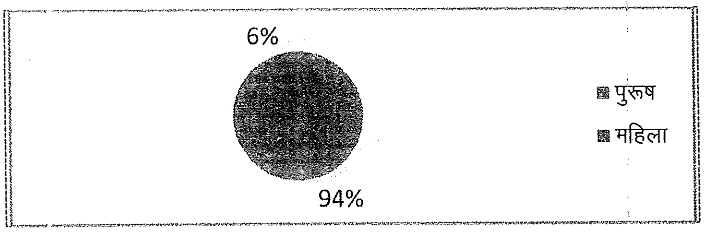

स्रोत :– क्षेत्र कार्य

इस आकृति से स्पष्ट है कि भूमि अधिग्रहण का 94% भाग पुरूषों के स्वामित्व में है एवं 6% भूमि पर महिलाओं का स्वामित्व है।

प्रभावित परिवारों का उनके पारिवारिक संरचना के आधार पर भू–स्वामित्व को आकृति 5.2 में प्रस्तुत किया गया है

आकृति 5.2

पारिवारिक संरचना के आधार पर भू–स्वामित्व का प्रकार

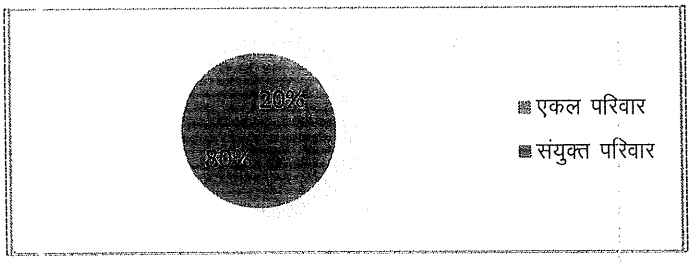

स्रोत :– क्षेत्र कार्य

आकृति से स्पष्ट है कि अधिग्रहित होने वाली भूमि का (20%) हिस्सा एकल/नाभिकीय परिवार के अधीन है तथा 80% भूमि का स्वामित्व संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है।

5.7 पारिवारिक आय के स्रोत और स्थिति :–

आजीविका मानव जीवन के प्रमुख आधार हैं। वर्तमान के अर्थ प्रधान युग में मानव के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी रूप में उसकी आय पर ही निर्भर करती है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में प्रभावित परिवारों के आय की स्थिति एवं स्रोतों को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है जिसे सारणी 5.4 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 5.4

पारिवारिक आय के स्रोत

आय का स्रोत	संख्या	प्रतिशत (%)
कृषि	34	57.63
वेतन	8	13.56
मजदूरी	7	11.86
स्व–रोजगार	4	6.78
पेंशन	2	3.39
पशुपालन	4	6.78

स्रोत :– क्षेत्र कार्य

उक्त सारणी से स्पष्ट है प्रभावित परिवारों की आय का मुख्य स्रोत कृषि है, जिसके पश्चात् मजदूरी, वेतन तथा स्वरोजगार है। इनमें से कई परिवार अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक से अधिक कार्यों में संलग्न हैं।

इस परियोजना से प्रभावित (57.63%) परिवारों के आय का मुख्य स्रोत कृषि है। उपरोक्त सारणी से यह भी स्पष्ट होता है कि आय के अन्य स्रोतों में वेतन (13.56%), मजदूरी (11.86%),, स्व–रोजगार (6.78%), पेंशन (3.39%), तथा पशुपालन (6.78%) है।

प्रभावित परिवारों की अर्जनाधीन भूमि से उपार्जित वार्षिक आय सारणी 5.1 में प्रस्तुत किया गया है:–

सारणी 5.5
अर्जनाधीन भू–खण्ड से वार्षिक आय

आय	संख्या	प्रतिशत (%)
5000 से कम	6	35.29
5000 से अधिक	11	64.71
कुल	**17**	100

स्रोत :– क्षेत्र कार्य

प्रभावित परिवारों में से 35.29% परिवारों ने अधिगृहित भू–खण्ड से वार्षिक आय 5,000 रू० से कम के बीच बताया जबकि 64.71% परिवारों ने अधिगृहित भू–खण्ड से वार्षिक आय 5,000 रू० से अधिक की बात कही है।

5.8 फसल पद्धति और प्रभावित परिवारों की औसत उत्पादकता :–

प्रभावित क्षेत्र में फसलों के उत्पादन, प्रारूप एवं उनकी औसत उत्पादकता को सारणी 5.2 में प्रस्तुत किया गया है। प्रभावित परिवारों द्वारा मुख्य रूप से खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। सारणी से स्पष्ट है कि सभी हितबद्ध रैयतों द्वारा गेंहू, धान, मक्का, मूंग एवं पटुआ का उत्पादन किया जाता है।

सारणी 5.6
हितबद्ध परिवारों की कृषि संलग्नता एवं उसकी औसत उत्पादकता

फसल	परिवारों का प्रतिशत	औसत उत्पादकता एकड़ प्रति वर्ष (क्विंटल में)
गेहूँ	100	16
धान	100	20
मक्का	100	35
मूंग	100	2
पटुआ	100	12

स्रोत :– क्षेत्र कार्य

इसकी वार्षिक औसत उत्पादकता गेहूँ 16, धान 20, मक्का 35, मूंग 2 एवं पटुआ 12 क्विंटल प्रति एकड़ है। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रभावित परिवारों द्वारा आजीविका हेतु खाद्य एवं नगदी दोनों प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है।

5.9 बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच :–

बैंक एवं बैकिंग सुविधायें आज के मौद्रीकृत जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। रूपयों के संकलन, अंतरण आदि से लेकर सब्सिडी के वितरण तक के लिए जन–सामान्य को इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में प्रभावित परिवारों का बैंकिंग संबंधित विवरण का विश्लेषण किया गया है, जिसे सारणी 5.7 में प्रस्तुत किया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि सभी प्रभावित परिवारों के पास बैंक खाता उपलब्ध है:–

सारणी 5.7
प्रभावित परिवारों का बैंकिंग विवरण

बैंकिंग विवरण		संख्या	प्रतिशत (%)
बैंक में खाते का प्रकार	बचत खाता	17	100
बैंक का नाम	Bank of Baroda	1	5.88
	SBI Bank	7	41.18
	NGB Bank	1	5.88
	Union Bank	1	5.88
	PNB	2	11.76
	CBI	4	23.53
	Corporation Bank	1	5.88
	कुल	17	100

स्रोत :– क्षेत्र कार्य

प्रभावित सभी परिवारों के पास किसी न किसी बैंक में खाता हैं। इन प्रभावित लोगों का खाता Bank of Baroda, SBI Bank, NGB Bank, Union Bank, PNB, CBI और Corporation Bank आदि में से किसी–न–किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में है।

5.10 पारिवारिक ऋण, ऋण के कारण और ऋण के स्रोत :–

प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति का आकलन करने का एक अन्य तरीका उन परिवारों के ऋण की स्थिति और ऋण के स्रोतों का विश्लेषण से देखा जा सकता है। विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष में पाया गया कि 89.47% प्रभावित परिवारों द्वारा किसी भी स्रोत से किसी प्रकार का ऋण नही लिया गया है। यह उनके आत्मनिर्भरता अथवा पर–निर्भरता (दूसरे व्यक्तियों या संस्थाओं पर निर्भरता) की स्थितियों को दर्शाता है।

सारणी 5.8
प्रभावित परिवारों द्वारा लिए गए ऋणों की संख्या, स्रोत, उद्देश्य एवं राशि

बैंकिंग विवरण		**संख्या**	**प्रतिशत**
ऋण	कोई ऋण नहीं	14	82.35
	ऋण	3	17.65
	कुल	**17**	**100.00**
कर्ज का उद्देश्य	कृषि	1	33.33
	व्यवसाय	2	66.67
	कुल	**3**	**100.00**
कर्ज का स्रोत	बैंक	**3**	**100.00**
कर्ज की राशि	50000 तक	1	33.33
	100000 से अधिक	2	66.67
	कुल	**3**	**100.00**

स्रोत :– क्षेत्र कार्य

प्रभावित होने वाले तीन चौथाई से अधिक परिवारों (82.35%) ने कोई ऋण नही लिया है, जबकि (17.65%) लोगों ने ऋण लिया है। ऋण लेने के मुख्य उद्देश्यों में कृषि कार्य हेतु 33.33% एवं 66.67% व्यवसाय हेतु लोगों ने लिया है। सभी परिवारों ने ऋण बैंक से लिया है।

ऋण लेने वालों में से 33.33% लोगों ने 50,000 रूपया तक का कर्ज तथा (66.67%) लोगों ने एक लाख से ऊपर तक की राशि कर्ज के रूप में लिया है।

5.11 प्रभावित परिवारों के सदस्यों के प्रवास की स्थिति :-

रोजगार के बेहतर विकल्पों की तलाश और श्रम-संतुलन, ये दोनों प्रवास के प्रमुख कारण रहे हैं। यह व्यक्ति की आय एवं उसकी प्रस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। यह प्रवास क्षेत्रीय, प्रान्तीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसी कारण इस परियोजना से प्रभावित परिवारों के सदस्यों के प्रवास की स्थिति को सारणी 5.9 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.9

प्रभावित परिवारों के सदस्यों के प्रवास की स्थिति

प्रवास का विवरण		संख्या	प्रतिशत
	अंतर्प्रांतीय	4	80.00
	प्रांतीय	1	20.00
	कुल	5	**100.00**
प्रवास की अवधि	3 वर्ष तक	2	40.00
	3 वर्ष से अधिक	3	60.00
	कुल	5	**100.00**
प्रवासित व्यक्ति द्वारा प्रेषित धनराशि (प्रति माह)	5000 रूपये तक	2	40.00
	5000 रूपये से अधिक	1	20.00
	कोई राशि नहीं	2	40.00
	कुल	5	**100.00**

स्रोत :- क्षेत्र कार्य

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 80.00% प्रवासियों का गंतव्य स्थल अंतर्प्रांतीय तथा 20.00% प्रांतीय जगहों पर प्रवास किये है। प्रवासित होने वाले लोगों में अधिकांश 60.00% लोग तीन वर्ष से अधिक समय से प्रवासित है एवं 40.00% लोग तीन वर्ष से कम समय से प्रवासित है।

इनमें यह भी पाया गया कि प्रवासित होने वाले लोगों में 40.00% लोग 5000 रू0 तक की राशि तथा 20.00% लोग 5000 रू0 से अधिक की राशि अपने परिवार को प्रेषित करते है, जबकि 40.00% प्रवासित लोग कोई राशि नहीं भेजते हैं।

5.12 प्रभावित क्षेत्र में महिलाओं की प्राथमिक गतिविधियाँ :-

प्रभावित परिवारों की अधिकांशतः महिलाएं पारिवारिक/घरेलू कार्यों में संलग्न हैं, जो उनकी प्रमुख गतिविधि है। इसके अतिरिक्त कुछ महिलायें घरेलू पशुओं की देख-रेख के अलावा पारिवारिक कृषि में भी हाथ बंटाती हैं। इस क्षेत्र में कुछ महिलायें आशा कार्यकर्त्री, जीविका दीदी तथा शिक्षक के रूप में भी कार्य करती है।

5.13 भूमि अधिग्रहण का रोजगार पर प्रभाव :-

लगभग सभी उत्तरदाताओं ने बताया कि भूमि अधिग्रहण से उनके रोजगार पर किसी विशेष प्रकार की क्षति की संभावना नहीं है। बल्कि मानसी अंचल के मानसी से फानगो तक पथ निर्माण की उपलब्धता स्थानीय लोगों के रोजगार लिए सहायक सिद्ध होगी।

5.14 निष्कर्ष :-

प्रभावित परिवारों के सदस्यों के सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय अवलोकनों से स्पष्ट है कि अधिकांश परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। प्रभावित होने वाले अधिकांश परिवार मध्यम या निम्न-मध्यम

वर्गीय है तथा कृषि कार्य हेतु उन्हें औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की स्थिति बनती है। भूमि अधिग्रहण के प्रभावों का विश्लेषण अगले अध्याय में किया गया है।

अध्याय–VI

भूमि अधिग्रहण का प्रभाव

भूमि अधिग्रहण से जुड़ी किसी भी परियोजना का उससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति जैसे–रोजगार, खाद्य–सुरक्षा, महिलाओं की दिनचर्या, सामाजिक सहभागिता, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच सहित अन्य मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत अध्याय में प्रभावित होने वाले मौजा के लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भूमि अधिग्रहण के प्रभावों का विविध परिप्रेक्ष्यों में परिचर्चा की गयी है।

6.1 भूमि अधिग्रहण के प्रभावों के पहचान की संरचनात्मक उपागम :–

इस अध्ययन में डभारी चकला मौजा में भूमि अधिग्रहण के प्रभाव को समझने तथा सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल अंचल में आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण कार्य के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों की पहचान कर उनके अभिमतों को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया। भूमि अधिग्रहण के प्रभाव का परीक्षण करने से पूर्व प्रभावित क्षेत्र के परिवारों की एक संक्षिप्त रुपरेखा विविध दस्तावेजों, विभिन्न रिपोर्ट और जनगणना के आंकड़ों के माध्यम से तैयार की गयी। इसके अतिरिक्त, स्थानीय अधिकारियों जैसे– अनुमण्डल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, बड़ा बाबू (भू–अर्जन) जिला भू–अर्जन पदाधिकारी आदि से भी क्षेत्र से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की गयी। परियोजना क्षेत्र के समग्र रुपरेखा की जाँच–पड़ताल हेतु एक जाँच–सूची तैयार की गयी।

इस अध्ययन के क्रम में, प्रभावित परिवारों की जानकारी एकत्रित करने हेतु संरचित साक्षात्कार–अनुसूची तैयार की गयी और तद्नुकूल परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों से जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से जन–प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भी संपर्क साधा गया।

परिवारों की सामाजिक–आर्थिक और जनांकिकीय विशेषताओं के संकलन के अतिरिक्त लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भूमि अधिग्रहण के पड़ने वाले प्रभावों का आँकलन करने के दृष्टिगत प्रश्नों को संरचित किया गया। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण के संबंध में बेहतर जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से केन्द्रित समूह परिचर्चा (Focused Group Discussion) का भी आयोजन किया गया।

अंततः प्रभावित परिवारों की प्रतिक्रियाओं, केन्द्रित समूह परिचर्चा (Focused Group Discussion), शोधकर्ताओं के अवलोकनों एवं निष्कर्षों के आधार पर हितबद्ध लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों की गणना की गई। प्रत्यक्ष प्रभावों के विश्लेषण हेतु प्रभावित परिवारों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं को आधार बनाया गया। अप्रत्यक्ष प्रभावों के विश्लेषण हेतु क्षेत्र के मुख्य सूचनादाताओं, शोधकर्ताओं के अवलोकनों तथा केन्द्रित समूह परिचर्चा के दौरान वहां के निवासियों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं को आधारित किया गया है।

6.2 आर्थिक स्थिति और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव :–

मानसी एवं चौथम अंचल के मानसी से फानगो तक पथ निर्माण कार्य हेतु भूमि के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति, जैसे–रोजगार, आय के स्रोत और खाद्य सुरक्षा आदि प्रभावित हो सकती है। इनका विश्लेषण निम्नवत है :–

भूमि अधिग्रहण से आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

भूमि–अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों को आकृति 6.1 में प्रस्तुत किया गया है। प्रभावित परिवारों में से 59.00% ने बताया कि प्रस्तावित परियोजना से मिलने वाले मुआवजा से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जबकि 23.00% परिवारों के अनुसार उनकी दीर्घकालिक आर्थिक स्थिति में गिरावट आयेगी एवं 18.00% परिवारों बताया कि उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आकृति 6.1

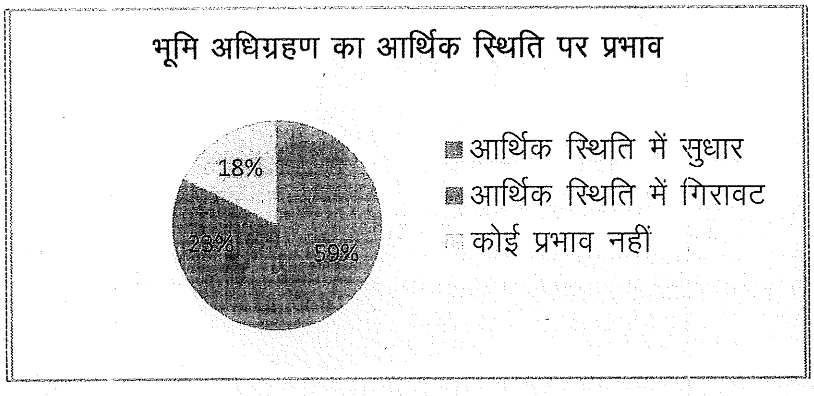

स्रोत :– क्षेत्र कार्य

भूमि अधिग्रहण से खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव

भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के खाद्य–सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों को आकृति 6.2 में प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन में यह पाया गया कि प्रस्तावित परियोजना से 65.00% परिवारों ने कहा कि परियोजना से खाद्य–सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा एवं 35.00% परिवारों ने बताया कि खाद्य–सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आकृति 6.2

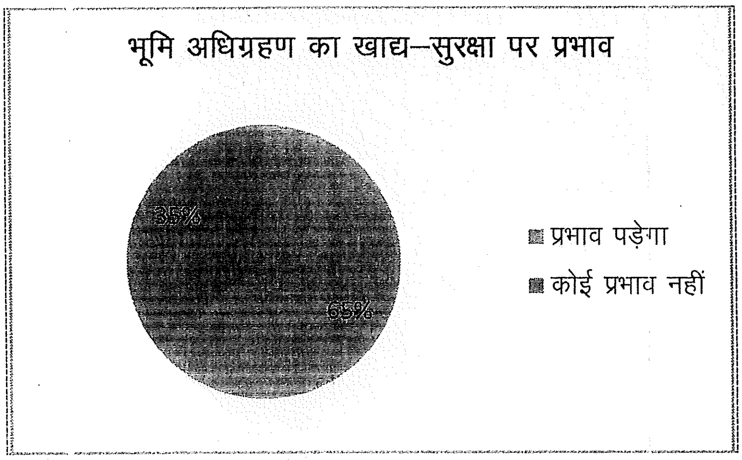

स्रोत :– क्षेत्र कार्य

6.3 महिलाओं पर भूमि अधिग्रहण का प्रभाव :-

प्रभावित परिवारों की अधिकतर महिलाएं घरेलू कार्यों में संलग्न हैं, इसलिए भूमि अधिग्रहण का उनपर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6.4 भूमि अधिग्रहण का स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर प्रभाव :-

सर्वेक्षण के दौरान प्रभावित परिवारों से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से संबंधित प्रश्न पूछने पर सभी रैयतों ने बताया कि ब्लाक में एक स्वास्थ्य केन्द्र है। इस परियोजना के निर्माण से स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचने में सुविधा होगी।

6.5 परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरांत भूमि अधिग्रहण का आर्थिक प्रभाव :–

डभारी चकला मौजा में भूमि अधिग्रहण के प्रभाव को समझने तथा आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण के आर्थिक प्रभाव से संबंधित अनेक प्रश्न जैसे रोजगार, उत्पादन, उत्पादित वस्तुओं के विपणन और अन्य आय जनित गतिविधियाँ आदि से सम्बन्धित पूछे गये। निर्माण के दौरान एवं पश्चात् परियोजना के आर्थिक प्रभावों को सारणी 6.1 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6.1

परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरांत आर्थिक प्रभाव

आर्थिक प्रभाव	निर्माण के दौरान			निर्माण के उपरांत		
डभारी चकला	सकारात्मक	नकारात्मक	कोई प्रभाव नहीं	सकारात्मक	नकारात्मक	कोई प्रभाव नहीं
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
कृषि कार्य		100		100		
गैर–कृषि व्यवसाय		100		100		
दैनिक–मजदूरी से आय		100		100		
बँटाईदारों का आय		100		100		
कार्य स्थान का परिवर्तन		100		100		
कृषि उपज की बिक्री		100		100		
गैर–कृषिगत व्यवसाय		100		100		
दुग्ध/कुक्कुट उत्पाद		100		100		
भूमि का मूल्य	100			100		
मुआवजा संबंधी आर्थिक प्रभाव			100			100

स्रोत :– क्षेत्र कार्य

सारणी से स्पष्ट है कि डभारी चकला मौजा में भूमि अधिग्रहण के प्रभाव को समझने तथा आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण के दौरान एवं उपरान्त आर्थिक गतिविधियों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेंगे। परियोजना निर्माण के दौरान कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य, व्यवसाय, दैनिक मजदूरी से आय और बँटाईदारों का आय, कार्य स्थान का परिवर्तन, कृषि उपज की बिक्री, गैर–कृषिगत व्यवसाय एवं दुग्ध/कुक्कुट उत्पाद आदि पर 100.00% उत्तरदाताओं ने नकारात्मक पड़ने की बात कही है, जबकि अधिकांश लोगों ने बताया कि मुआवजा संबंधी आर्थिक प्रभाव को छोड़कर बाकी सभी पर परियोजना निर्माण के पश्चात सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जबकि भूमि का मूल्य के संदर्भ में सभी रैयतों ने बताया कि परियोजना निर्माण के दौरान तथा निर्माण के उपरांत इस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

6.6 परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरांत सामाजिक मुद्दों पर प्रभाव :–

परियोजना निर्माण के दौरान एवं उसके पश्चात् भूमि अधिग्रहण के सामाजिक प्रभावों को सारणी 6.2 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6.2

परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरांत सामाजिक प्रभाव

समाजिक प्रभाव	निर्माण के दौरान			निर्माण के उपरांत		
डभारी चकला	सकारात्मक	नकारात्मक	कोई प्रभाव नहीं	सकारात्मक	नकारात्मक	कोई प्रभाव नहीं
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
शैक्षणिक संस्थानों तक पहुँच			100	100		
सामाजिक सौहार्द			100	100		
सामाजिक संरचना			100	100		
सामाजिक– सांस्कृतिक व्यवहार			100	100		
थ्लंगानुपात			100			100
सामाजिक अपराध			100	100		
महिला हिंसा			100	100		
अपराध पर नियंत्रण			100	100		
प्रवासन			100	100		
विस्थापन			100	100		
सामाजिक/ राजनीतिक/ स्वयं–सहायता संगठन			100	100		

स्रोत :– क्षेत्र कार्य

उपरोक्त सारणी में अधिकांश उतरदाता ने बताया कि परियोजना निर्माण के दौरान शैक्षणिक संस्थानों तक पहुँच, एवं अपराध पर नियंत्रण तथा अन्य सामाजिक प्रमुख आदि पर 100.00% उत्तरदाताओं ने कोई प्रभाव नहीं पड़ने की बात कही तथा निर्माण के पश्चात लगभग सभी सामाजिक प्रभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सामाजिक लिंगानुपात मुद्दों पर लगभग सभी लोगों ने यथावत् रहने की बात कही है।

6.7 परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरांत सांस्कृतिक/पर्यावरणीय प्रभाव :–

परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान पर्यावरणीय और सांस्कृतिक प्रभाव को सारणी 6.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 6.3

परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरांत सांस्कृतिक/पर्यावरणीय प्रभाव

सांस्कृतिक/पर्यावरणीय प्रभाव	निर्माण के दौरान			निर्माण के उपरांत		
डभारी चकला	सकारात्मक	नकारात्मक	कोई प्रभाव नहीं	सकारात्मक	नकारात्मक	कोई प्रभाव नहीं
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
प्राकृतिक संसाधन		100			100	
चारागाह भूमि		100			100	
श्मशान/ कब्रिस्तान			100			100
तलाब			100			100
क्रीड़ा स्थल			100			100
धार्मिक स्थल			100			100
स्थानीय पशु एवं पक्षी			100			100

स्रोत :– क्षेत्र कार्य

उपरोक्त सारणी में अधिकांश उत्तरदाताओं ने बताया कि इस परियोजना के निर्माण के दौरान और उपरान्त श्मशान/कब्रिस्तान, तालाब, क्रीड़ा स्थल, धार्मिक स्थल और स्थानीय पशु एवं पक्षियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और परंतु निर्माण के दौरान एवं उपरांत प्राकृतिक संसाधन एवं चारागाह भूमि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

6.8 परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरांत स्वास्थ्य सुविधाओं स्वास्थ्य पर प्रभाव :–

प्रस्तुत परियोजना के निर्माण के दौरान और पश्चात् स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को सारणी 6.4 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6.4

परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरांत स्वास्थ्य पर प्रभाव

स्वास्थ्य पर प्रभाव	निर्माण के दौरान			निर्माण के उपरांत		
डभारी चकला	सकारात्मक (%)	नकारात्मक (%)	कोई प्रभाव नहीं (%)	सकारात्मक (%)	नकारात्मक (%)	कोई प्रभाव नहीं (%)
स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच			100	100		
सामुदायिक स्वास्थ्य			100		100	
पेयजल			100			100
मल–जल निकासी की सुविधा			100			100

नोट :– 30 भू–खण्डों से 17 उत्तरदाताओं द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर।

स्त्रोत :– क्षेत्र कार्य

सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने बताया की परियोजना निर्माण के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुँच, सामुदायिक स्वास्थ्य, पेयजल एवं मल–जल निकासी की सुविधा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि निर्माण के उपरांत सभी उत्तरदाताओं ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पेयजल एवं मल–जल निकासी संबंधित प्रभाव के संदर्भ में लगभग सभी उत्तरदाओं ने बताया कि इस पर परियोजना निर्माण के दौरान या उपरांत कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सामुदायिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

6.9 परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरांत परिवहन और संचार पर प्रभाव :–

परियोजना के निर्माण के दौरान एवं पश्चात् परिवहन पर पड़ने वाले प्रभाव को सारणी 6.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 6.5

परियोजना निर्माण के दौरान एवं उपरांत यातायात पर प्रभाव

यातायात पर प्रभाव	निर्माण के दौरान			निर्माण के उपरांत		
डभारी चकला	सकारात्मक (%)	नकारात्मक (%)	कोई प्रभाव नहीं (%)	सकारात्मक (%)	नकारात्मक (%)	कोई प्रभाव नहीं (%)
दूरी में कमी		100		100		
समय की बचत		100		100		
वृद्ध व्यक्तियों के लिए यातायातीय सुविधा		100		100		
महिलाओं के यातायातीय सुविधा		100		100		
दिव्यांगों के लिए यातायातीय सुविधा		100		100		

स्त्रोत :– क्षेत्र कार्य

परियोजना के निर्माण के दौरान सुपौल अंचल के लोगों को यातायात सम्बधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जबकि परियोजना निर्माण के पश्चात् यातायात सुविधायें बेहतर होंगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि गाँव में आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ होने से यातायात एवं संचार की समस्याओं का निदान होगा एवं इस परियोजना से गाँव के लोग बारहमासी सड़कों से लाभान्वित होंगे।

6.7 निष्कर्ष :–

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि गाँव में रहने वाले लोगों पर उक्त परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण का दीर्घ काल में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पुल एवं पहुंच पथ के निर्माण के दौरान कुछ संदर्भों में नकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हो सकते है, किन्तु निर्माण के पश्चात् यातायात सुविधायों के अतिरिक्त सामाजिक–आर्थिक परिप्रेक्ष्यों में अनेक लाभों का अनुभव किया जायेगा। उक्त परियोजना के कुछ महत्वूपर्ण अवलोकन इस प्रकार से हैं :–

- इस आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण से कई गांवों के लोगों का सीधा सम्पर्क सुपौल से होगा।
- डभारी और सुपौल के बीच की दूरी कम होगी तथा समय का भी बचत होगा।
- डभारी चकला क्षेत्र का विकास होगा।
- डभारी चकला मौजा के लोगों के रोजगार में वृद्धि होगी।
- इससे लोगों को जिलान्तर्गत स्वास्थ्य सुविधा मिलने में सुविधा प्राप्त होगी।
- कृषि उत्पादों का विपणन आसान होगा और रोजगार के नये अवसर प्राप्त होगें।
- सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ त्वरित गति से प्राप्त हो सकेगी।
- डभारी चकला मौजा के गांवों तक प्रशासन की पहुंच आसान होगी।
- डभारी चकला मौजा में गैर–सरकारी संगठन, निजी कंपनियों आदि तक को भी पहुंचने में सुविधा होगी।
- इन सब के अतिरिक्त इससे स्थानीय क्षेत्र के भूमि की कीमतों के बढ़ने की संभावना है।

अध्याय–VII

लागत–लाभ का विश्लेषण

और अधिग्रहण पर अनुशंसा

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के विभिन्न लाभों में से एक यह है कि यह व्यक्तियों, समूहों, संगठनों और समुदायों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन पर केंद्रित सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक प्रभावों के संभावित परिवर्तनों को समझने में मदद करता है (बैरो, 2002)। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन मूल रूप से व्यक्तियों, समुदायों और सरकार को उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर प्रस्तावित भूमि–अधिग्रहण के संभावित परिणामों को समझने और अनुमानित करने में सहायता प्रदान करता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है कि सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्र के लोगों के द्वारा वहन किए गए लागतों एवं उस परियोजना से लोगों को मिलने वाले संभावित लाभों के विश्लेषण हेतु किया जाता है।

परियोजना के निर्माण के दौरान सामाजिक लागतों का वहन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले परिवारों तथा वृहद् स्तर पर प्रभावित मौजा अथवा गाँवों के द्वारा किया जाता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इसके सामाजिक लागतों जैसे– आय, कृषि उत्पादन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की क्षति एवं लोगों को मिलने वाले लाभों/सुविधाओं का अनुमान लगाया जा सके।

7.1 भूमि अधिग्रहण का लागत–लाभ विश्लेषण :–

प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत सुपौल अंचल में कुल 1.664 भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत 30 भू–खण्डों से भूमि अधिग्रहित की जा रही है। प्रभावित परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। भूमि अधिग्रहण के कारण निकटवर्ती क्षेत्र के लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। अतः परियोजना के सामाजिक लागत के सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि इस परियोजना के कारण निर्माण के दौरान भूमि एवं आजीविका की क्षति हो सकती है।

तथापि, इस परियोजना से होने वाले लाभ अनेक हैं और समुदाय में रहने वाले लोगों को भी अनेक प्रकार से प्रभावित करेगी। डभारी चकला मौजा में भूमि अधिग्रहण के प्रभाव को समझने तथा आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण कार्य से न केवल अधिग्रहण से प्रभावित परिवार लाभान्वित होंगे, बल्कि वृहद् स्तर पर यह सम्पूर्ण स्थानीय समुदाय को भी लाभान्वित करेगा।

उक्त डभारी चकला मौजा में भूमि अधिग्रहण के प्रभाव को समझने तथा आर0सी0सी0 पुल एवं पहुंच पथ निर्माण कार्य से सुपौल प्रखंड के लोग बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त, परियोजना निर्माण से क्षेत्र के विकास की संभावना बढ़ेगी, भूमि की कीमत में वृद्धि होगी और परियोजना निर्माण से रोजगार के ज्यादा अवसर सृजित होंगे।

7.2 सामाजिक प्रभाव के न्यूनीकरण के उपाय :–

परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित होने वाली भूमि सभी भू–स्वामियों के लिए बराबर अनुपात में नहीं है और इसलिए, भूमि अधिग्रहण का आर्थिक प्रभाव उन सभी के लिए एक–समान नहीं होगा। जो लोग अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा खो रहे हैं, उनकी आजीविका दूसरों के सापेक्ष अधिक दुष्प्रभावित होगी। इसके अतिरिक्त वे

जमीन जिसे उन्होंने अपनी आजीविका के लिए अर्जित किया है, वह भी उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, मुआवजे का समय पर भुगतान भू–स्वामियों को भूमि अधिग्रहण से होने वाले मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

7.3 अध्ययन की अनुशंसाये :–

अंततः भूमि अधिग्रहण के नकारात्मक परिणामों को परियोजना के दौरान अल्प समय के लिए महसूस तो किया जा सकता है, किन्तु दीर्घ काल में इसके प्रभाव सकारात्मक एवं लाभकारी सिद्ध होंगे। उक्त पुल एवं पहुंच पथ के निर्माण से पारवर्ती क्षेत्र के लोगों लिए प्रखण्ड एवं जिला मुख्यालय तक की पहुंच सुलभ होगी। अतः इस संदर्भ में अध्ययन की कुछ प्रमुख अनुशंसाये इस प्रकार हैं :–

a) परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन/अधिग्रहण उचित प्रतीत होता है।

b) स–समय मुआवजे के भुगतान का प्रावधान किया जा सकता है।

c) स्थानीय लोगों के अनुसार इस समय भूमि के बाजार मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है इसलिए मुआवजे के अंतर्गत भू–मूल्य के पुनर्निर्धारण पर भी विचार किया जा सकता है।